[2021] 13 S.C.R.1

राशिद वली बेग

वी.

फरीद पिंडारी और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6336)

28 अक्टूबर, 2021

[हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन, जे. जे.]

वक्फ अधिनियम, 1995-एस. 83 , 85 , 2013 के संशोधन अधिनियम 27 द्वारा संशोधित-वक्फ के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा

दीवानी अदालत के समक्ष दायर की गई संपत्ति, यदि रखरखाव योग्य हो-आयोजितः एस में शब्द। 83 (1) " वक्फ से संबंधित कोई विवाद, प्रश्न या अन्य मामला या

वक्फ संपत्ति "में किसी भी विवाद, प्रश्न या संबंधित अन्य मामले शामिल हैं।

अदालत एक्सप्रेस के साथ हिंसा नहीं कर सकती

वक्फ से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का और वक्फ संपत्ति-इसलिए, यह कहना कि न्यायाधिकरण के पास होगा

अधिकारिता केवल तभी है जब विषय संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में विवादित किया जाता है और न कि अगर इसे वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो यह अपचनीय है। 83 (1) - के कुछ निर्णयों में द्विभाजन पैदा हुआ

सुप्रीम कोर्ट, वक्फ के रूप में स्वीकार की गई संपत्तियों के बीच

एस. एस. में दो सीमित प्रश्नों के गलत उपयोग के कारण संपत्ति और ऐसा होने के लिए विवादित है। 6 (1) और 7 (1) पूरे के लिए

एस सहित अधिनियम। 83 - वर्तमान मामले में, संपत्ति स्वीकार्य रूप से एक वक्फ संपत्ति है-प्रतिवादी को अनुमति देने के लिए-वादी

वक्फ ट्रिब्यूनल और स्थायी और अनिवार्य डिक्री की मांग करना

एक दीवानी अदालत से निषेधाज्ञा, के जनादेश की अनदेखी करना होगा

एसएस। 83 और 85-उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुरूप नहीं है-इसके अलावा, प्रकृति के बारे में एक सवाल

वक्फ का और क्या वादी वक्फ का लाभार्थी है, इस मामले में भी कौन सा प्रश्न उत्पन्न हुआ है

न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया गया न कि दीवानी अदालत द्वारा-अभियोग को वादी को वापस करने के लिए, अधिकार क्षेत्र वाले वक्फ को प्रस्तुत करने के लिए विचारण अदालत

न्यायाधिकरण-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया-सिविल संहिता

प्रक्रिया, 1908-Or.39, आर. 1-मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम,

1913 – मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923-वक्फ अधिनियम 1954।

वक्फ अधिनियम, 1995-एस. 85 , 86 , 89 और 90-अधिकारिता का बार

यू / एस. 85 आयोजितः 1995 का अधिनियम न्यायालय/का एक विशिष्ट संदर्भ देता है।

[2021] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल न्यायालय भी कुछ स्थानों पर। 86 , 90 और 93 "न्यायालय" का विशिष्ट संदर्भ देते हैं - धारा 68 (6) 'सिविल कोर्ट'-एस. एस. का एक संचयी पठन का संदर्भ देकर एक कदम आगे बढ़ता है। 86 , 89 और 90 से पता चलता है कि अधिकारिता का बार यू / एस. 85 कुल और सर्वशक्तिमान नहीं है और ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर अभी भी सिविल द्वारा विचार किया जा सकता है। अदालतें।

वक्फ अधिनियम, 1995-एस. 83 , 85 , संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित

विस्तार हुआ।

27 2013 का-आयोजितः 2013 के अधिनियम 27 ने 2 काम किए-पहला यह कि यह वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र यहां तक कि मकान मालिक-किरायेदार विवादों और पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों को भी शामिल करता है।

-

दूसरा, इसने राजस्व अदालतों और अन्य प्राधिकरणों को भी शामिल करने के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमा का विस्तार किया।

वक्फ अधिनियम, 1995-एस. 6 (1) , 7 (1) – आयोजित किया गयाः 2013 के अधिनियम 27 द्वारा

शब्द, "कोई भी इच्छुक व्यक्ति" को "कोई भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका अर्थ है कि एक गैर-मुसलमान भी

न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार-"कोई भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों के प्रतिस्थापन के कारण, 2013 के अधिनियम 27 ने यू/के स्पष्टीकरण को हटा दिया है। एस. 6 (1)।

वक्फ अधिनियम, 1995-एस. 83 , 85 और 86-विशेष प्रावधान यू / एस 86

आयोजित किया गयाः न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकारिता का उल्लंघन करता है

यू / धारा 83 (1) और सिविल न्यायालय, राजस्व न्यायालय और किसी अन्य प्राधिकरण की अधिकारिता की बाधा को हटा देता है। एस. 85,1995 अधिनियम में एस में एक विशेष प्रावधान है। 86 दीवानी अदालत द्वारा, प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए, कुछ मामलों में-यह एस से स्पष्ट है। 86 , कि सूट या अन्य में खंड (क) के अधीन आने वाले बोर्ड या खंड (ख) के अधीन आने वाले मुतवल्ली द्वारा स्थापित कार्यवाहियां। 86 , दीवानी अदालत के पास एक प्राप्तकर्ता नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा-एक परिणाम के रूप में, बार यू / एस. 85 का एस. द्वारा कवर किए गए मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं होगा। 86 .

वक्फ अधिनियम, 1995-एस. 83 , 85 , 86 , 90 और 93-बार का प्रश्न

दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का निर्धारण-आयोजितः नज़र में एस. एस. में प्रयुक्त भाषा। 83 और 85, एस. एस. में दीवानी न्यायालयों के संदर्भ के साथ। 86 , 90 और 93, ऐसा प्रतीत होता है कि

दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र की सीमा, कानून निर्माताओं द्वारा न्यायिक राय की अनिश्चितताओं पर छोड़ दी गई है और इसने जन्म दिया है परस्पर विरोधी निर्णय।

वक्फ अधिनियम, 1995 - धारा 83-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908

-

Or.39, आर. 1 आयोजितः धारा 83 (5) में यह स्पष्ट किया गया है कि वक्फ न्यायाधिकरण राशिद वाली बी. ई. जी. v.

फरीद पिंडारी और ओआरएस।

दीवानी न्यायालय समझा जाएगा और उसके पास समान शक्तियां होंगी।

जैसा कि सी. पी. सी. के तहत एक दीवानी न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है, एक मुकदमे की सुनवाई करते समय या एक डिक्री या आदेश को निष्पादित करते समय-न्यायाधिकरण के पास यू/या के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति होगी। 39 , आर. 1, सी. पी. सी.

वक्फ अधिनियम, 1995। 6 , 7 और 85-आयोजितः एस. एस. का एक संयुक्त पठन। 6 , 7 और 85 यह दिखाएगा कि सिविल के अधिकार क्षेत्र का बार एस में निहित न्यायालय। 6 (5) और एस। 7 (2) अध्याय-II तक सीमित है, लेकिन अधिकारिता का बार यू / एस. 85 सभी व्यापक है-भेद करने वाला

विशेषताएँ गिनाई गई हैं।

"वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई विवाद, प्रश्न या अन्य मामला" शब्द और वाक्यांश। 83 (1) – चर्चा-वक्फ अधिनियम, 1995।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 2013 के संशोधन अधिनियम 27 द्वारा "वक्फ संपत्ति" शब्दों के बाद, धारा 83 की उप-धारा (1) में "किरायेदार की बेदखली या पट्टेदार और ऐसी संपत्ति के पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण" शब्द जोड़े गए थे। इसी तरह, 2013 के संशोधन अधिनियम 27 द्वारा धारा 85 में "दीवानी अदालत" शब्दों को "दीवानी अदालत, राजस्व अदालत और अन्य प्राधिकरण" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार, 2013 के अधिनियम 27 ने 2 काम किए। सबसे पहले इसने वक्फ ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया, यहां तक कि मकान मालिक-किरायेदार को भी।

विवाद और पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। दूसरा, संशोधन अधिनियम ने राजस्व अदालतों और अन्य प्राधिकरणों को भी शामिल करने के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमा का विस्तार किया। उप-खंड

(2) 1995 के अधिनियम की धारा 83 उन व्यक्तियों को इंगित करती है जो न्यायाधिकरण की अधिकारिता का आह्वान करने के हकदार हैं। वे हैं, (i) वक्फ का कोई मुतवल्ली; (ii) वक्फ में रुचि रखने वाला व्यक्ति; या (iii) अधिनियम के तहत किए गए किसी भी आदेश से पीड़ित कोई अन्य व्यक्ति।

या नियम या उसके तहत बनाया गया कोई आदेश। [पारस 17-20] [20-F-H; 21-A-B]

1.2 धारा 83 (1) के तहत न्यायाधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है और धारा 85 के तहत दीवानी अदालत, राजस्व अदालत और किसी अन्य प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के अवरोध को समाप्त करता है, 1995 के अधिनियम में धारा 86 में इन प्रावधानों के लिए एक विशेष प्रावधान है -

सिविल न्यायालय द्वारा, प्राप्तकर्ता की, कुछ मामलों में नियुक्ति। इस प्रकार धारा 86 बोर्ड के किसी भी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही को स्थापित करने या शुरू करने के अधिकार को मान्यता देती है, (i) [2021] 13 एस. सी. आर. को अलग करने के लिए।

बोर्ड की मंजूरी के बिना पूर्व मुतवल्ली या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। इसलिए धारा 86 से यह स्पष्ट है कि खंड के तहत आने वाले बोर्ड द्वारा लगाए गए मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों में (क) या धारा 86 के खंड (ख) के तहत आने वाले मुतवल्ली द्वारा स्थापित, दीवानी अदालत के पास एक नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा

रिसीवर। परिणामस्वरूप, धारा 85 के तहत प्रतिबंध धारा 86 के तहत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा। धारा 85 के तहत दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंध के अलावा, अधिनियम में धारा 88 के तहत एक और प्रतिबंध की परिकल्पना की गई है। धारा 88 केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के तहत की गई किसी भी अधिसूचना या आदेश या निर्णय, कार्यवाही या कार्रवाई को चुनौती देने के लिए एक दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर करती है। [पारस 21-24] [21-C; 22-B-F] 1.3 वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 89 में बोर्ड के खिलाफ लगाए गए मुकदमों के संबंध में धारा 80 सी. पी. सी. के समान एक नियम है।

धारा 90 जो नोटिस जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित करती है।

मुकदमों का, न्यायालयों और न्यायाधिकरणों दोनों को संदर्भित करता है। धारा 90 की उप-धारा (1) में "न्यायालय या न्यायाधिकरण" शब्दों का उपयोग किया गया है और यह वक्फ संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे या मुतवल्ली या लाभार्थी के अधिकार से संबंधित वाद या कार्यवाही को संदर्भित करता है। धारा 86,89 और 90 के संचयी अध्ययन से पता चलता है कि धारा 85 के तहत अधिकारिता का प्रतिबंध पूर्ण और सर्वशक्तिमान नहीं है और ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर अभी भी दीवानी अदालतों द्वारा विचार किया जा सकता है। वास्तव में, धारा 93 जो मुतवल्ली को किसी भी मुकदमे में विरोधी पक्ष के साथ समझौता करने से रोकती है, "अदालत" को भी संदर्भित करती है। [पारस 25-27] [22-G-H; 23-E-F]

1.4 धारा 83 (2) विशेष रूप से सक्षम बनाती है, (i) कोई मुतवल्ली; (ii) वक्फ में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति; और (iii) कोई अन्य व्यक्ति।

वक्फ से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण की अधिकारिता को लागू करने के लिए अधिनियम के तहत किए गए आदेश से व्यथित। धारा 83 (2) राशिद वाली बी. ई. जी. वी.

फरीद पिंडारी और ओआरएस।

वक्फ बोर्ड का कोई संदर्भ न दें। हालांकि, धारा 94 (1) बोर्ड को उचित आदेशों के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन करने में सक्षम बनाती है, जब भी कोई मुतवल्ली मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त कार्य करने में विफल रहता है। 1954 के अधिनियम की धारा 61 के तहत, ऐसा आवेदन बोर्ड द्वारा केवल अदालत में किया जा सकता है, लेकिन अब इसे धारा 94 (1) के तहत न्यायाधिकरण में किया जा सकता है। धारा 83 और 85 में प्रयुक्त भाषा के साथ-साथ धारा 86,90 और 93 में दीवानी अदालतों के संदर्भ को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि दीवानी अदालत की अधिकारिता पर रोक का सवाल, कानून निर्माताओं द्वारा न्यायिक राय की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिया गया है और इसने परस्पर विरोधी निर्णयों को जन्म दिया है। [पारस 28,29] [23-एच; 24-ए-सी]

वक्फ ट्रिब्यूनल का अधिकार क्षेत्र शुरू और समाप्त नहीं होना चाहिए धारा 6 और 7। धारा 83 और 85 के साथ-साथ धारा 86,90 और 93, जो "अदालत" शब्द का उपयोग करती हैं, अधिनियम के अध्याय VIII में पाए जाते हैं। अध्याय VIII को दिया गया शीर्षक "न्यायिक कार्यवाही" है। इसलिए, धारा 85 के तहत अधिकारिता की सीमा से संबंधित प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, यह [2021] 13 एस. सी. आर. पर्याप्त नहीं है।

केवल धारा 6 (5) या धारा 7 (2) का उल्लेख करने के लिए। धारा 85 की भाषा स्पष्ट रूप से इसमें प्रयुक्त भाषा के विपरीत है।

धारा 6 (5) और धारा 7 (2)। [पारस 30-32] [34-F-H; 35-A-D]

रमेश गोबिंदराम बनाम। सुरग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ (2010) 8 एससीसी 726 [2010] 10 एससीआर 945-विशिष्ट।

1.6 धारा 6,7 और 85 के संयुक्त पठन से पता चलेगा कि धारा 6 (5) और धारा 7 (2) में निहित दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का अवरोध अध्याय-2 तक ही सीमित है, लेकिन धारा 85 के तहत अधिकारिता का अवरोध सभी व्यापक है। इसे निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं से देखा जा सकता है:

(i) धारा 6 (5) किसी भी प्रश्न के संबंध में अदालत में मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू करने या शुरू करने पर रोक लगाती है। उप-धारा (1) में संदर्भित। धारा 6 की उप-धारा (1) केवल दो प्रश्नों के बारे में बताती है, अर्थात् क्या कोई विशेष

वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं और क्या वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ;

((ii) धारा 7 (2) किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण को वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही पर रोक लगाने से रोकती है। वक्फ का, किसी वाद, आवेदन या अपील या अन्य कार्यवाही के लंबित होने के एकमात्र आधार पर। धारा 7 (2) विशेष रूप से धारा 7 के तहत कार्यवाही से संबंधित है न कि किसी अन्य से।

इस धारा के तहत "। धारा 7 (1) फिर से केवल दो प्रश्नों से संबंधित है, अर्थात् क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट है। वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति है या नहीं और क्या

सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है। इसलिए, धारा 7 (2) के तहत प्रतिबंध भी केवल इन दो प्रश्नों तक ही सीमित है, क्योंकि "इस धारा के तहत कोई कार्यवाही नहीं" शब्दों का उपयोग किया गया है।

(iii) जबकि धारा 6 (1) और 7 (1) केवल दो प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो अध्याय द्वारा कवर किए गए मामलों के लिए उपयुक्त हैं।

अकेले अधिनियम की धारा 85 (i) किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के बारे में और (ii) "अन्य मामले के बारे में जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है" के बारे में बात करती है।

राशिद वली बेग बनाम। फरीद पिंडारी और ओआरएस।

(iv) धारा 6 (1) के बीच एक प्रमुख विभेदक विशेषता

और एक ओर 7 (1) और दूसरी ओर धारा 83 यह है कि धारा 6 और 7 में निर्दिष्ट विवाद, प्रश्न या अन्य मामला केवल धारा 4 के तहत तैयार और धारा 5 के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची में शामिल होने तक ही सीमित है। द. धारा 6 (1) और 7 (1) में पाए जाने वाले "वक्फ की सूची में निर्दिष्ट" शब्द धारा 83 (1) में उनकी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 6 और 7 केवल दो श्रेणियों के मामलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन धारा 83 किसी भी वक्फ या वक्फ संपत्ति के संबंध में संभावित विवादों के पूरे सरगम को शामिल करती है। [पैरा 33] [35-डीएच; 36-ए-डी]

1.7 धारा 85 के 2 अंग हैं। धारा 85 के पहले हिस्से में उपयोग किए गए शब्द, "कोई भी विवाद, प्रश्न या किसी भी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामला", एक स्पष्ट संकेत प्रदान करते हैं कि न्यायाधिकरण के पास निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

किसी भी विवाद पर और वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दें, जिसमें धाराओं में उल्लिखित दो प्रश्न भी शामिल हैं।

6 (1) और 7 (1)। धारा 85 के दूसरे अंग में शब्द, अर्थात् "अन्य मामला जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है", उन मामलों को शामिल करना चाहते हैं जिनकी धारा 6 (1) और 7 (1) द्वारा कवर किए गए दो प्रश्नों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। दुर्भाग्य से, कई अदालतों को धारा 6 (1) और 7 (1) में दो विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गुमराह किया गया कि अधिकारिता का बार केवल उन दो प्रश्नों के इर्द-गिर्द घूमने वाले विवादों तक ही सीमित था। [पारस 34,35] [36-डी-जी] 1.8 रमेश गोबिंदरम में निर्णय के आधार को 2013 के अधिनियम 27 के तहत एक संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। रमेश

गोबिंदराम ने इस सवाल का जवाब देने की मांग की कि क्या वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल करने से संबंधित विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम है। चूंकि इस न्यायालय ने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया था, इसलिए 2013 के अधिनियम 27 द्वारा धारा 83 (1) में संशोधन किया गया था, जिसमें शब्द शामिल किए गए थे, "किरायेदार को बेदखल करना या अधिकारों का निर्धारण और

ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के दायित्व। साथ ही, 2013 के अधिनियम 27 द्वारा धारा 7 में उप-धारा (6) जोड़ी गई थी। धारा 7 की इस उप-धारा (6) में कहा गया है कि न्यायाधिकरण के पास [2021] 13 एस. सी. आर. द्वारा नुकसान के आकलन की शक्ति होगी।

वक्फ संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा और वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए ऐसे अनधिकृत कब्जाधारियों को दंडित करना और कलेक्टर के माध्यम से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में नुकसान की वसूली करना। आदर्श रूप से, उप-धारा (6) के प्रावधानों को धारा 83 में कहीं स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि जिसे धारा 7 की उप-धारा (6) द्वारा कवर करने की मांग की गई है, उसका उन दो प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है जिनके बारे में धारा 7 (1) बोलती है। लेकिन संसद ने धारा 7 में कुछ शामिल करना उचित क्यों समझा, जिसका धारा 7 की उप-धारा (1) से कोई संबंध नहीं है, शायद यह तथ्य है कि रमेश गोबिंदराम ने मुख्य रूप से इस पर ध्यान दिया।

धारा 6 और 7 की भाषा पर। [पारस 36,37] [36-जी-एच; 37 ए-बी, ई] 1.9 रमेश गोबिंदराम का आधार अब 2013 के संशोधन अधिनियम 27 के माध्यम से हटा दिया गया है। वास्तव में, जब रमेश

गोबिंदराम पर निर्णय लिया गया, धारा 6 (1) और 7 (1) ने केवल तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को राहत के लिए वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करने में सक्षम बनाया।

वे हैं, (i) बोर्ड; (ii) वक्फ का मुतवल्ली; या (iii) उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति। हालांकि, स्पष्टीकरण के तहत

धारा 6 (1) ने स्पष्ट किया कि "उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति" अभिव्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा, जो वक्फ में रुचि नहीं रखता है, लेकिन संपत्ति में रुचि रखता है। लेकिन 2013 के अधिनियम 27 द्वारा "कोई भी इच्छुक व्यक्ति" शब्दों को "कोई भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसका अर्थ है कि एक गैर-व्यथित व्यक्ति भी।

मुसलमान न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का हकदार है। "कोई भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों के प्रतिस्थापन के कारण,

2013 के अधिनियम 27 ने 6 (1) के तहत स्पष्टीकरण को हटा दिया है। इस संशोधन ने रमेश गोबिंदराम में व्यक्त की गई चिंता को भी संबोधित किया है कि क्या एक गैर-मुसलमान को खतरे में डाला जा सकता है

अधिकारिता का प्रतिबंध, केवल इसलिए कि संपत्ति वक्फ की सूची में शामिल है। धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत स्पष्टीकरण, जैसा कि उस समय था जब रमेश गोबिंदराम पर निर्णय लिया गया था, ने पहले से ही इस आकस्मिकता का ध्यान रखा था, लेकिन इस अदालत के ध्यान में लाए जाने के लिए इसे हटा दिया गया था। [पैरा 38] [37-एफ-एच; 38-ए बी]

1.10 यदि वक्फ अधिनियम, 1995 केवल उन मामलों के संदर्भ के साथ बंद हो गया था जो न्यायनिर्णयन में सक्षम होने के रूप में सूचीबद्ध हैं। न्यायाधिकरण द्वारा, किसी भी भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य से, अधिनियम अदालत/राशिद वाली बी. ई. जी. v. का एक विशिष्ट संदर्भ देता है।

फरीद पिंडारी और ओआरएस।

कुछ स्थानों पर दीवानी न्यायालय भी। धारा 86,90 और 93 "न्यायालय" का विशिष्ट संदर्भ देती हैं। धारा 68 (6) 'दीवानी अदालत' का संदर्भ देकर एक कदम आगे बढ़ती है। धारा 68 (6), 86,90 और 93 के संयुक्त अध्ययन से पता चलता है कि धारा 85 के तहत अधिकारिता का प्रतिबंध कम से कम धारा 68 (6), 86 और 90 के तहत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होता है। [पारस 44,45] [42-एच; 43-ए-बी, डी-ई]

2.1 संपत्ति को वक्फ संपत्ति स्वीकार करने के बाद, अपीलार्थी (प्रतिवादी संख्या 1) ने आदेश के तहत एक आवेदन दायर किया।

अपील करते हुए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के फैसलों को खारिज कर दिया और दीवानी अदालत को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कानून के अनुरूप नहीं है। इस सवाल का जवाब पहले से ही अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति में दिया गया है कि क्या वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा का मुकदमा बनाए रखा जा सकता है या नहीं। इस न्यायालय ने उक्त निर्णय में बताया कि रमेश गोबिंदराम को अनीस फातमा बेगम में प्रतिष्ठित किया गया था, और इसलिए न्यायाधिकरण के पास स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। लेकिन दुर्भाग्य से यह निर्णय लिया गया ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय द्वारा 23.07.2013 पर उच्च न्यायालय के ध्यान में नहीं लाया गया है। [पारस 49,50] [44-एफ-जी; 45-ए-बी]

अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति बनाम। पी. वी. इब्राहिम हाजी और अन्य। (2014) 16 एससीसी 65: [2013] 7

एससीआर 1033-पर निर्भर।

2.2 ऐसा नहीं है कि वक्फ अधिनियम में न्यायाधिकरण को अधिकारिता प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था वक्फ संपत्ति। धारा 83 के पहले भाग को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

पहला वक्फ से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण से संबंधित और दूसरा, वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण से संबंधित। 2013 के संशोधन अधिनियम 27 के बाद, यहां तक कि किसी किरायेदार की बेदखली या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्व का निर्धारण, आता है [2021] 13 एस. सी. आर.

न्यायाधिकरण के दायरे में। यद्यपि वे कार्यवाहियां जिनमें से वर्तमान अपील उत्पन्न होती है, उनके समक्ष स्थापित की गई थीं "वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामला" शब्द वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। अदालत क़ानून की स्पष्ट भाषा के साथ हिंसा नहीं कर सकती है। धारा 83 (1) भले ही वह संशोधन से पहले थी, न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले (i) वक्फ से संबंधित; और (ii) वक्फ संपत्ति से संबंधित के निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया था। इसलिए यह कहना कि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र होगा

केवल तभी जब विषय संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में विवादित किया जाता है और न कि अगर इसे वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो धारा 83 (1) के अनुसार अपचनीय है। [पारस 52,53] [45-एच; 46-ए-सी, ई]

किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय या किसी डिक्री या आदेश को निष्पादित करते समय। वक्फ न्यायाधिकरण के पास आदेश XXXIX, नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति होगी। कुछ में द्विभाजन पैदा हुआ इस न्यायालय के निर्णय, उन संपत्तियों के बीच जो वक्फ संपत्तियों के रूप में स्वीकार की जाती हैं और संपत्तियों के बीच जो विवादित हैं, धारा 6 (1) और 7 (1) में दो सीमित प्रश्नों को धारा 83 सहित पूरे अधिनियम में गलत तरीके से लागू करने के कारण हैं। धारा 83 में दिए गए निर्देश को धारा 6 (1) और 7 (1) द्वारा सीमित या सीमित नहीं किया जा सकता है, ताकि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि न्यायाधिकरण केवल तभी अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा जब कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति होने के लिए विवादित हो। [पारस 54,55] [46-एफ जी; 47-सी-ई]

सैयद मोहिदीन और एक अन्य वी। रामनाथपुरा पेरिया

मोगल्लम जमात और अन्य (2010) 13 एस. सी. सी. 62:

[2010] 8 एससीआर 777-पर निर्भर।

2.4 हाथ के मामले में, संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाता है। इसलिए, वादी को वक्फ न्यायाधिकरण की उपेक्षा करने और स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग करने की अनुमति देना और

दीवानी अदालत से अनिवार्य निषेधाज्ञा, की अनदेखी की जाएगी

धारा 83 और 85 का अधिदेश जो वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले की बात करता है।

एक प्रश्न राशिद वली बेग v. फरीद पिंडारी और ओआरएस।

वक्फ की प्रकृति के बारे में और क्या वादी वक्फ का लाभार्थी है, इस मामले में भी सामने आया है। ये है सवाल

अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए न कि दीवानी अदालत उच्च न्यायालय के निर्णय और डिक्री को दरकिनार कर दिया जाता है। निचली अदालत वादी को प्रस्तुत करने के लिए शिकायत वापस कर देगी।

अधिकारिता वाले वक्फ न्यायाधिकरण को। [पैरा 56,57] [47-ई-एफ, जी-एच 48-ए]

सैयद मुहम्मद मशूर कुन्ही कोयल थंगल बनाम।

बडागरा जुमायत पल्ली धरास समिति (2004) 7

एससीसी 708: 2004 (6) जे. टी. 556; सरदार खान बनाम सैयद

नजमुल हसन (2007) 10 एससीसी 727: [2007] 3 एससीआर 436

प्रतिष्ठित।

वक्फ बोर्ड बनाम। अनीस फातमा बेगम (2010) 14 एससीसी

588 : [2010] 13 एस. सी. आर. 1063; तेलंगाना राज्य वक्फ बोर्ड वी. मोहम्मद मुजफ्फर (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 537;

हरियाणा वक्फ बोर्ड बनाम महेश कुमार (2014) 16 एससीसी

45 [2013] 12 एस. सी. आर. 596-पर निर्भर। पंजाब राज्य वक्फ बोर्ड बनाम प्रितपाल सिंह (2013) एससीसी

ऑनलाइन एससी 1345; भंवर लाल बनाम। राजस्थान बोर्ड ऑफ

मुस्लिम वक्फ (2014) 16 एस. सी. सी. 51: [2013] 9 एससीआर 721;

फ़सीला एम. वी. मुन्नरुल इस्लाम मदरसा समिति (2014) 16 एससीसी 38: [2014] 4 एस. सी. आर. 613; राजस्थान वक्फ

बोर्ड वी। देवकी नंदन पाठक (2017) 14 एससीसी 561;

धर्मपाल बनाम। पंजाब वक्फ बोर्ड (2018) 11 एस. सी. सी. 449

: [2017] 8 एस. सी. आर. 316; पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम। शाम सिंह

हरिके (2019) 4 एससीसी 698: [2019] 2 एससीआर 61; किरण

देवी बनाम. बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड (2021) एससीसी

ऑनलाइन एससी 280; अब्दुल जाता मोहम्मद इशाक बनाम। रुसोमॉय धुर चौधरी 1894 (22) कलकत्ता (पीसी)

संदर्भित किया गया।

-

मामला कानून संदर्भ

[2007] 3 एससीआर 436

प्रतिष्ठित

पैरा 30

[2010] 10 एससीआर 945

पैरा 30

प्रतिष्ठित

[2010] 13 एससीआर 1063

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2013] 7 एससीआर 1033

उस पर भरोसा करें

पैरा 30

[2021] 13 एस. सी. आर

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2013] 9 एससीआर 721

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2013] 12 एससीआर 596

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

[2014] 4 एससीआर 613

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2017] 8 एससीआर 316

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2019] 2 एससीआर 61

संदर्भित किया गया है

पैरा 30

[2010] 8 एससीआर 777

पैरा 54

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6336

2021 से।

उच्च न्यायालय के 16.12.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2014 की दूसरी अपील No.286 में इलाहाबाद, लखनऊ पीठ, लखनऊ में न्यायिक कार्य।

प्रदीप मिश्रा, दिलीप ध्यानी, सूरज सिंह, मनोज कुमार।

शर्मा, भुवन चंद्र, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

प्रदीप कांत, वरिष्ठ अधिवक्ता। , दिव्यांशु सहाय, अनुराग किशोर, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वी. रामसुब्रमण्यन, जे.

1. उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित

इलाहाबाद, लखनऊ पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा

दीवानी अदालत के समक्ष वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 85 द्वारा वर्जित नहीं है। (संक्षेप में "अधिनियम") के लिए, प्रतिवादी उपरोक्त अपील के साथ आया है।

2. हम श्री प्रदीप मिश्रा, विद्वान वकील के लिए सुना है

अपीलार्थी और श्री प्रदीप कांत, पहले के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील उत्तरदाता।

3. इसमें पहले प्रतिवादी ने 2011 के आर. एस. No.137 में मुकदमा दायर किया।

अपीलार्थी के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में और उत्तरदाता 2 से 5 को प्रतिवादी 2 से 5 के रूप में शामिल करना। मुकदमा एक अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए था जिसमें प्रतिवादियों को हटाने का निर्देश दिया गया था

उनके द्वारा किया गया अतिक्रमण और प्रतिवादियों को वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा

मिर्जागंज, परगना और तहसील मलिहाबाद, लखनऊ में स्थित भूमि। यह मुकदमा सिविल जज, सीनियर डिवीजन, मलिहाबाद की अदालत में दायर किया गया था। इसमें प्रथम प्रत्यर्थी/वादी का मामला यह था कि वाद संपत्ति राशिद वाली बी. ई. जी. v.

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

मूल रूप से एक मिर्जा आबिद अली बेग के थे; कि अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने एक वक्फ-अल-औलाद बनाया; कि अपने जीवन काल के दौरान, मिर्जा आबिद अली बेग मुतवल्ली थे; कि उनके जीवन काल के बाद, उनकी बड़ी बेटी मुतवल्ली बन गई; और उसके बाद, छोटी बेटी श्रीमती। अफजल जहां बेगम मुतवल्ली बन गईं; कि उक्त अफजल जहां बेगम थी

वादी की दादी; कि वादी के पिता ने एक अव्यवस्थित जीवन व्यतीत किया, दादी को वादी को संपत्ति का कब्जा देने के लिए मजबूर किया, उसे संपत्तियों का रखरखाव करने और परिवार के रखरखाव के लिए उसकी आय का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया; कि कब्जा करने के बाद, वादी ने भूमि पर दुकानें बनाईं और उन्हें किरायेदारों को दे दिया; कि कुछ समय बाद, वादी की दादी ने वादी के पिता को मुतवल्ली के रूप में नियुक्त किया; कि वादी और उसके पिता के बीच आपराधिक कार्यवाही चल रही थी; कि 18.12.2010 पर, प्रतिवादी निर्माण सामग्री लाए और वादी के पिता के उकसावे पर दुकानों के पीछे की भूमि में नींव खोदना शुरू कर दिया; कि हालाँकि वादी ने पुलिस शिकायत दी, वे दोषी थे।

4. मुक़दमे में पेश होने के बाद, यहाँ अपीलार्थी जो

वह पहला प्रतिवादी था, जिसने वक्फ और वक्फ संपत्ति के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए एक लिखित बयान दायर किया। इसके बाद, उन्होंने आदेश VII, नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शिकायत को अस्वीकार करने के लिए एक आवेदन लिया, इस सरल आधार पर कि सिविल कोर्ट के पास वक्फ संपत्ति से संबंधित मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। उक्त आवेदन को सिविल जज, सीनियर डिवीजन, मलिहाबाद द्वारा अनुमति दी गई और मुकदमा खारिज कर दिया गया।

न तो संपत्ति की प्रकृति के बारे में कोई सवाल शामिल है और न ही यह सवाल कि क्या वाद अनुसूची संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं। और यह भी कि चूंकि मुकदमा केवल निषेधाज्ञा के लिए है, इसलिए सिविल कोर्ट को अधिनियम की धारा 85 के तहत मुकदमे पर विचार करने से नहीं रोका गया था। यह उच्च न्यायालय के उक्त फैसले के खिलाफ है कि मुकदमे में पहला प्रतिवादी उपरोक्त अपील के साथ आया है।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

7. इसलिए, इस अपील में हमारे विचार के लिए एकमात्र सवाल यह है कि क्या इसके संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा है

वक्फ संपत्ति दीवानी अदालत में बनाए रखने योग्य है या नहीं।

8. दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र का सवाल जिस पर निर्णय लेना है

विवाद, जिनके निर्धारण के लिए विशेष कानूनों के तहत विशेष न्यायाधिकरणों का गठन किया जाता है, एक परेशान करने वाला सवाल रहा है जो समय के साथ एक झूले की लड़ाई में बदल गया है। यह विशेष रूप से वक्फ के संबंध में है। लेकिन इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है।

1913 अधिनियम

9. वक्फों से संबंधित सबसे पहला अधिनियम था -

मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम, 1913 (1913 का 6)। इस अधिनियम ने वक्फ के माध्यम से संपत्तियों का निपटान करने के मुसलमानों के अधिकार को मान्यता दी। उनके परिवारों, बच्चों और वंशजों का समर्थन। इस अधिनियम ने घोषणा की कि किसी भी वक्फ को केवल इसलिए अमान्य नहीं माना जाएगा क्योंकि इसने संस्थापक के परिवार के विलुप्त होने तक उसमें पुष्टि किए गए धार्मिक और धर्मार्थ लाभ को स्थगित कर दिया था। इस अधिनियम के अधिनियमित होने का कारण, अब्दुल जटा मोहम्मद इशाक बनाम रुसोमॉय धुर चौधरी में प्रिवी काउंसिल के निर्णय को दूर करना था, जिसे अमान्य घोषित कर दिया गया था, परिवार के लाभ के लिए बनाया गया एक वक्फ, हालांकि वंशावली की विफलता पर दान के लिए एक उपहार के साथ। 1913 के इस वैधीकरण अधिनियम को 1930 के अधिनियम 32 द्वारा पूर्वव्यापी आवेदन दिया गया था।

1923 अधिनियम

10. फिर मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 आया, जिसे वक्फ विधान का अग्रदूत कहा जा सकता है, जो निर्माण से संबंधित है।

वक्फ और वक्फ संपत्ति का रखरखाव और प्रशासन। इस अधिनियम में प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली को उस न्यायालय को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में वक्फ संपत्ति स्थित थी। अधिनियम प्रत्येक वक्फ के मुतवल्ली को लेखा परीक्षा के बाद न्यायालय को खातों का एक पूर्ण और सही विवरण प्रस्तुत करने के लिए भी अनिवार्य करता है। न्यायालय को इस अधिनियम के तहत यह पता लगाने के लिए जांच करने का अधिकार दिया गया थाः (i) क्या वक्फ मौजूद है (ii) क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है और (iii) वक्फ का मुतवल्ली कौन है। 1923 के अधिनियम में वक्फों के रजिस्टर के निर्माण पर विचार किया गया और न्यायालय को उक्त रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज करने की शक्ति प्रदान की गई। 1923 के अधिनियम में धारा 6 एन में एक प्रावधान था, जो न्यायालय को वक्फ समिति के किसी भी एक या अधिक सदस्यों को किसी भी मुकदमे को स्थापित करने या बचाव करने के लिए अधिकृत करने का अधिकार देता है।

1 [1894 (22) कलकत्ता (पी. सी.)] राशिद वाली बी. ई. जी. बनाम।

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

वक्फ संपत्ति के संरक्षण या वसूली के लिए या किसी सार्वजनिक धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्य में वक्फ संपत्ति के आवेदन के लिए कार्यवाही। सी. पी. सी. की धारा 92 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, धारा 6 एन के तहत न्यायालय की यह शक्ति थी।

11. इस प्रकार 1923 के अधिनियम ने विशेष रूप से नागरिक के लिए एक भूमिका प्रदान की

वक्फ की मान्यता और पंजीकरण, वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वक्फ के प्रबंधन की निगरानी के मामले में अदालत। वास्तव में, न्यायालय के पास 1923 के अधिनियम के तहत भारी शक्तियां थीं, जिसमें एक विशेष लेखा परीक्षा का आदेश देने की शक्ति भी शामिल थी।

1954 अधिनियम

12. भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, संसद ने अधिनियम बनाया

वक्फ अधिनियम 1954, वक्फ के बेहतर प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए प्रदान करने के घोषित उद्देश्य के साथ। 1954 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के बयानों में दर्ज किया गया है कि 1923 का अधिनियम बहुत व्यावहारिक महत्व का नहीं था और इसलिए बॉम्बे, बंगाल और संयुक्त प्रांतों की प्रांतीय सरकारों ने क्रमशः 1934,1935 और 1936 में 1923 के अधिनियम में संशोधन किए।

13. 1954 के अधिनियम की धारा 6,27,36 ए, 43,55,56,57,60 और 61 ने दीवानी न्यायालय को विभिन्न कानूनों के समाधान के लिए एक मंच के रूप में मान्यता दी। वक्फ और वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवाद जो निम्नलिखित से देखे जा सकते हैं:

(i) धारा 6 ने बोर्ड या मुतवल्ली या किसी भी व्यक्ति को सक्षम बनाया।

(4) धारा 5 के तहत प्रकाशित सूची में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या (बी) वक्फ शिया वक्फ है या सुन्नी वक्फ, इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होने पर सक्षम क्षेत्राधिकार के दीवानी न्यायालय में मुकदमा दायर करने में रुचि रखते हैं।

(ii) हालांकि अधिनियम की धारा 27 (1) ने वक्फ बोर्ड को यह तय करने के लिए भी अधिकृत किया कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ है।

सम्पत्ति हो या न हो, इस प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय सिविल न्यायालय की अधिकारिता के अधीन किया गया था जैसा कि धारा 27 (2) में देखा गया है।

((3) धारा 36-ए (1) वक्फ बोर्ड द्वारा कलेक्टर को की गई किसी मांग के समाधान के लिए, जब भी किसी व्यक्ति की कोई अचल संपत्ति हो, उपबंध करती है।

वक्फ का हस्तांतरण बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना किया गया था। कलेक्टर को इस प्रावधान के तहत एक आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें उक्त संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को इसे बोर्ड को देने का निर्देश दिया गया था। कलेक्टर द्वारा इस प्रकार पारित आदेश धारा 36 ए (4) के तहत जिला न्यायालय में अपील योग्य था।

(iv) 1954 के अधिनियम की धारा 43 (5) ने वक्फ बोर्ड को मुतवल्ली को हटाने और उस पर कब्जा करने का निर्देश दिया।

वक्फ सम्पत्ति, जिसे सिविल न्यायालय की डिक्री माना जाता है, जिसे सिविल न्यायालय द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, मानो यह उसके द्वारा पारित एक डिक्री हो।

(v) धारा 55 ने वक्फ बोर्ड को किसी भी वक्फ से संबंधित धारा 92, सी. पी. सी. में उल्लिखित किसी भी राहत को प्राप्त करने के लिए एक मुकदमा स्थापित करने में सक्षम बनाया।

सी. पी. सी. की धारा 92 में निर्दिष्ट सहमति प्राप्त किए बिना। धारा 56 में सी. पी. सी. की धारा 80 के समान एक प्रावधान था और धारा 57 में वक्फ संपत्ति के स्वामित्व या मुतवल्ली के अधिकार या सिविल कोर्ट की डिक्री के निष्पादन में वक्फ संपत्ति की किसी भी बिक्री से संबंधित प्रत्येक मुकदमे या कार्यवाही में सिविल कोर्ट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

(vi) धारा 60 ने बोर्ड की मंजूरी के बिना समझौता करने के पक्षकारों के अधिकारों पर रोक लगा दी। वक्फ

बोर्ड को धारा 61 द्वारा मुतवल्ली द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफलता के मामले में न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार दिया गया था।

वक्फ जाँच समिति और 1984 संशोधन अधिनियम

14. 1954 के अधिनियम में 1959,1964 और 1969 में कुछ संशोधन किए गए। लेकिन कुल मिलाकर, वक्फ बोर्डों का काम था

असंतोषजनक पाया गया और इसलिए वक्फ के प्रशासन को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने वक्फ जांच समिति के रूप में जानी जाने वाली एक समिति का गठन किया। समिति ने सभी हितधारकों के साथ परामर्श के बाद बड़ी संख्या में सिफारिशें और अपनी रिपोर्ट दी

संपत्ति। लेकिन वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का अधिकार अधिनियम की धारा 55 (2) के तहत केवल (i) किसी को भी उपलब्ध कराया गया था। वक्फ के मुतवल्ली; (ii) वक्फ में रुचि रखने वाला व्यक्ति; या (iii) अधिनियम या नियम के तहत किए गए किसी आदेश या उसके तहत किए गए किसी आदेश से पीड़ित कोई अन्य व्यक्ति। धारा 55 (5) ने घोषणा की कि न्यायाधिकरण को एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा, जिसके पास उतनी ही शक्तियां होंगी जितनी हो सकती हैं।

सी. पी. सी. के तहत एक दीवानी अदालत द्वारा प्रयोग किया जाता है, एक मुकदमे की सुनवाई करते समय या एक डिक्री को निष्पादित करते समय। हालाँकि, न्यायाधिकरण को अपनी स्वयं की प्रक्रिया का पालन करने की स्वतंत्रता दी गई थी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, इसके बावजूद कि कुछ भी राशिद वाली बी. ई. जी. v. में निहित है।

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

सीपीसी। हालाँकि न्यायाधिकरण के निर्णय को अंतिम घोषित किया गया था

धारा 55 की उप धारा (7), और हालांकि कोई अपील नहीं होगी

उप-धारा (9) के आधार पर न्यायाधिकरण का निर्णय, उच्च

उप-धारा के परंतुक के तहत संशोधन की शक्ति प्रदान की गई थी

धारा 55।

15. धारा 55 सी ने सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया

किसी भी वक्फ, वक्फ संपत्ति से संबंधित प्रश्न या अन्य मामला

वह मामला जिसे अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जाना आवश्यक है

न्यायाधिकरण। लेकिन साथ ही, धारा 55 डी में अदालत को कुछ परिस्थितियों में प्राप्तकर्ता नियुक्त करने का प्रावधान था।

55 डी पर इस प्रकार हैः

" 55 डी. सिविल संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1908 या उस समय लागू किसी अन्य कानून में,

जहाँ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है या

शुरू किया।

(अ)

किसी बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से -

((i) किसी आदेश या आदेश के निष्पादन में किसी भी अचल संपत्ति, जो वक्फ संपत्ति है, की बिक्री को अलग करना।

दीवानी अदालत;

((ii) किसी भी अचल संपत्ति, जो वक्फ संपत्ति है, के हस्तांतरण को अलग करना, जो उसके मुतवल्ली द्वारा किया गया है, चाहे वह मूल्यवान विचार या नोट के लिए हो, या

के अनुसार के अलावा, की मंजूरी

बोर्ड;

((ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संपत्ति का कब्जा वसूल करना या ऐसी संपत्ति का कब्जा संबंधित वक्फ के मुतवल्ली को बहाल करना; या

अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए मुतवल्ली द्वारा

(ख)

संपत्ति, जो वक्फ संपत्ति है, जिसे पिछले मुतवल्ली द्वारा हस्तांतरित किया गया है, चाहे वह मूल्यवान हो। बोर्ड की मंजूरी के बिना या उसके अलावा, जो प्रतिवादियों के कब्जे में है, न्यायालय, वादी के आवेदन पर, ऐसी संपत्ति के प्राप्तकर्ता को नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्राप्तकर्ता को समय-समय पर संपत्ति की आय में से वादी को भुगतान करने का निर्देश दे सकता है, [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

ऐसी राशि जिसे न्यायालय आवश्यक समझे

मुकदमे के आगे के अभियोजन के लिए।

वक्फ अधिनियम, 1995

16. लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 1984 के संशोधन अधिनियम की कड़ी आलोचना हुई और इसलिए 1984 के अधिनियम के केवल दो प्रावधानों को लागू किया गया।

समुदाय 2 के प्रबल विरोध के कारण लागू किया जाए। इसलिए, वक्फ मामलों पर एक व्यापक विधेयक जिसमें

1954 के अधिनियम की विशेषताओं और 1984 के अधिनियम के ऐसे प्रावधानों को पेश किया गया, जिनके संबंध में लगभग सर्वसम्मति थी। यह वक्फ अधिनियम, 1995 बन गया। इस अधिनियम में वक्फ से संबंधित प्रश्नों और विवादों पर विचार करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 1995 के अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू किया गया था, हालांकि वक्फ अधिनियम, 1954 उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लागू नहीं था।

16. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 और धारा 85 (जैसा कि वे मूल रूप से 2013 में संशोधन से पहले थे) निम्नानुसार हैं:

" 83. न्यायाधिकरणों का गठन, आदि।

(1) राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के तहत वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए जितने उचित समझे उतने न्यायाधिकरणों का गठन करेगी और स्थानीय सीमाओं को परिभाषित करेगी।

और इस अधिनियम के तहत ऐसे प्रत्येक न्यायाधिकरण की अधिकारिता। (2) वक्फ या किसी अन्य व्यक्ति में रुचि रखने वाला कोई भी मुतवल्ली व्यक्ति

इस अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत किए गए आदेश से व्यथित

इसके तहत, इस अधिनियम में निर्दिष्ट समय के भीतर या जहां ऐसा कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया है, ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित किया जाए, न्यायाधिकरण को निर्धारण के लिए आवेदन कर सकता है।

वक्फ से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले का।

(3) जहाँ उप-धारा (1) के तहत किया गया कोई आवेदन संबंधित है -

कोई भी वक्फ संपत्ति जो इसकी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर आती है

दो या अधिक न्यायाधिकरणों की अधिकारिता, ऐसा आवेदन हो सकता है -

न्यायाधिकरण को दिया गया जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर मुतवल्ली या वक्फ के मुतवल्ली में से कोई एक वास्तव में

2 1995 के अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के विवरण का अनुच्छेद 3 देखें। 3 1995 के अधिनियम राशिद वाली बी. ई. जी. v के उद्देश्यों और कारणों के विवरण के पैराग्राफ 6 (एच) को देखें।

और स्वेच्छा से निवास करता है, व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और जहां ऐसा कोई आवेदन उपरोक्त न्यायाधिकरण को किया जाता है, वहां अधिकार क्षेत्र वाले अन्य न्यायाधिकरण या न्यायाधिकरण ऐसे विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं करेंगेः

बशर्ते कि राज्य सरकार, यदि उसकी राय हो कि यह वक्फ या किसी अन्य व्यक्ति के हित में समीचीन है,

वक्फ या वक्फ संपत्ति में रुचि रखने वाले ऐसे आवेदन को किसी अन्य न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करने के लिए जिसका अधिकार क्षेत्र है

विवाद, प्रश्न या उससे संबंधित अन्य मामले का निर्धारण

ऐसी वक्फ या वक्फ संपत्ति, ऐसे आवेदन को अधिकारिता वाले किसी अन्य न्यायाधिकरण को हस्तांतरित करती है, और ऐसे हस्तांतरण पर, जिस न्यायाधिकरण को आवेदन इस प्रकार हस्तांतरित किया जाता है, वह आवेदन को उस स्तर से देखेगा जो उस न्यायाधिकरण के समक्ष पहुँचा था जहां से आवेदन इस प्रकार हस्तांतरित किया गया है, सिवाय इसके कि जहां न्यायाधिकरण की राय है कि आवेदन पर नए सिरे से न्याय के हित में कार्रवाई करना आवश्यक है। (4) प्रत्येक न्यायाधिकरण में निम्नलिखित शामिल होंगे -

एक व्यक्ति, जो राज्य न्यायिक का सदस्य होगा

(अ)

जिला, सत्र या सिविल न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी से कम का पद धारण करने वाली सेवा, जो

सभापति;

(ख) एक व्यक्ति, जो राज्य सिविल का अधिकारी होगा।

अतिरिक्त पद के समतुल्य सेवाएँ जिला मजिस्ट्रेट, सदस्य;

(ग) मुस्लिम कानून का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति और

न्यायशास्त्र, सदस्य,

और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की नियुक्ति नाम से या पदनाम से की जा सकती है।

(4क) पदेन सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों के अलावा अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्तों सहित नियुक्ति के नियम और शर्तें ऐसी होंगी जो निर्धारित की जाएं।

(5) न्यायाधिकरण को एक दीवानी अदालत माना जाएगा और उसके पास वही शक्तियां होंगी जो [2021] 13 एस. सी. आर. के तहत दीवानी अदालत द्वारा प्रयोग की जा सकती हैं।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), किसी वाद का विचारण करते समय, या किसी डिक्री या आदेश को निष्पादित करते समय। (6) सिविल संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1908 (1908 का 5), न्यायाधिकरण इस प्रकार का पालन करेगा

(7) न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और आवेदन के पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और इसमें एक डिक्री का बल होगा। एक दीवानी अदालत द्वारा बनाया गया।

(8) न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय का निष्पादन सिविल अदालत द्वारा किया जाएगा, जिसे ऐसा निर्णय सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार निष्पादन के लिए भेजा जाता है।

1908 (5 1908)।

(9) किसी भी निर्णय या आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं होगी चाहे वह अंतरिम हो।

या अन्यथा, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया या बनाया गयाः

बशर्ते कि कोई उच्च न्यायालय, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या बोर्ड या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर, किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले से संबंधित रिकॉर्ड की मांग और जांच कर सकता है जो न्यायाधिकरण द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए निर्धारित किया गया है -

इस तरह के निर्धारण की शुद्धता, वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करना और इस तरह की पुष्टि, उलट या संशोधित कर सकता है

ऐसा अन्य आदेश निर्धारित करें या पारित करें जो वह उचित समझे।

85. दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता का बार। — किसी भी वक्फ, वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में किसी भी दीवानी अदालत में कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत निर्धारित किया जाना आवश्यक है

एक न्यायाधिकरण द्वारा।

17. इस स्तर पर यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि शब्द "इसे बेदखल करना या पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण और

ऐसी संपत्ति का सार धारा की उप-धारा (1) में डाला गया था।

2013 का 27 वां अधिनियम।19. इस प्रकार, 2013 के अधिनियम 27 ने 2 काम किए। सबसे पहले इसने वक्फ ट्रिब्यूनल का विस्तार किया, यहां तक कि मकान मालिक-किरायेदार विवादों और राशिद वाली बी. ई. जी. v. को भी शामिल किया।

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकार और दायित्व। दूसरा, संशोधन अधिनियम ने राजस्व अदालतों और अन्य प्राधिकरणों को भी शामिल करने के लिए अधिकार क्षेत्र की सीमा का विस्तार किया।

20. 1995 के अधिनियम की धारा 83 की उप-धारा (2) उन व्यक्तियों को इंगित करती है जो न्यायाधिकरण की अधिकारिता का आह्वान करने के हकदार हैं। वे. (i) वक्फ का कोई मुतवल्ली; (ii) वक्फ में रुचि रखने वाला व्यक्ति; या (iii) अधिनियम या नियमों या उसके तहत किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई अन्य व्यक्ति।

21. न्यायाधिकरण को दी गई अधिकारिता का उल्लंघन करता है

1995 के अधिनियम की धारा 83 (1) और धारा 85 के तहत दीवानी अदालत, राजस्व अदालत और किसी अन्य प्राधिकरण की अधिकारिता की बाधा को समाप्त करती है, जिसमें कुछ मामलों में दीवानी अदालत द्वारा प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए धारा 86 में एक विशेष प्रावधान है। धारा 86 इस प्रकार हैः

86. कुछ मामलों में प्राप्तकर्ता की नियुक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद,

जहाँ कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है या शुरू किया।

(क) बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से

(i) किसी नागरिक के डिक्री या आदेश के निष्पादन में किसी भी अचल संपत्ति, जो वक्फ संपत्ति है, की बिक्री को अलग करना।

अदालत;

((ख) किसी भी अचल संपत्ति, जो वक्फ संपत्ति है, के हस्तांतरण को अलग करना, जो उसके मुतवल्ली द्वारा किया गया है, चाहे वह बोर्ड की मंजूरी के बिना या उसके अनुसार मूल्यवान विचार के लिए हो या नहीं;

((ग) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संपत्ति का कब्जा वसूल करना या ऐसी संपत्ति का कब्जा बहाल करना।

संबंधित वक्फ के मुतवल्ली को; या

(ख) किसी मुतवल्ली द्वारा अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए,

जो वक्फ संपत्ति है, जिसे पिछले मुतवल्ली द्वारा हस्तांतरित किया गया है, चाहे वह मूल्यवान विचार के लिए हो या नहीं,

बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, और जो प्रतिवादी के कब्जे में है, [2021] 13 एस. सी. आर.

न्यायालय, वादी के आवेदन पर, ऐसी संपत्ति के प्राप्तकर्ता को नियुक्त कर सकता है और ऐसे प्राप्तकर्ता को समय-समय पर वादी को संपत्ति की आय में से ऐसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है जिसे न्यायालय इसके लिए आवश्यक समझे।

मुकदमे का आगे का अभियोजन।

बोर्ड की मंजूरी के बिना। 23. इसलिए धारा 86 से यह स्पष्ट है कि खंड (ए) या उनके तहत आने वाले बोर्ड द्वारा स्थापित मुकदमों या अन्य कार्यवाहियों में

धारा 86 के खंड (बी) के तहत आने वाले मुतवल्ली द्वारा स्थापित, दीवानी अदालत के पास एक रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार क्षेत्र होगा। परिणामस्वरूप, धारा 85 के तहत प्रतिबंध धारा 86 के तहत आने वाले मामलों पर लागू नहीं होगा।

24. धारा 85 के तहत दीवानी अदालतों के अधिकार क्षेत्र के प्रतिबंध के अलावा, अधिनियम में धारा 88 के तहत एक और प्रतिबंध की परिकल्पना की गई है। धारा 88

किसी को चुनौती देने के लिए दीवानी अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाहर करता है अधिनियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई अधिसूचना या आदेश या निर्णय, कार्यवाही या कार्रवाई। धारा 88 इस प्रकार हैः

" 88. किसी भी अधिसूचना, आदि की वैधता को चुनौती देने के लिए रोक।

इस अधिनियम में अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रावधान किए जाने के अलावा, इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा की गई किसी भी अधिसूचना या आदेश या निर्णय, कार्यवाही या की गई कार्रवाई पर किसी भी दीवानी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा।

25. वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 89 में बोर्ड के खिलाफ लगाए गए मुकदमों के संबंध में धारा 80 सी. पी. सी. के समान एक नियम है।

दिलचस्प बात यह है कि धारा 90, जो मुकदमों की सूचना जारी करने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, अदालतों और न्यायाधिकरणों दोनों को संदर्भित करती है। वह इस प्रकार हैः

राशिद वली बेग बनाम। फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

" 90. अदालतों द्वारा मुकदमों आदि की सूचना। - (1) हर सूट में या

वक्फ संपत्ति के स्वामित्व या कब्जे से संबंधित कार्यवाही

या मुतवल्ली या लाभार्थी का अधिकार, न्यायालय या न्यायाधिकरण

ऐसा मुकदमा या कार्यवाही शुरू करने वाले पक्ष की कीमत पर बोर्ड को नोटिस जारी करेगा। (2) जब भी किसी वक्फ संपत्ति को दीवानी अदालत के आदेश के निष्पादन में या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी राजस्व, उपकर, दरों या करों की वसूली के लिए बिक्री के लिए अधिसूचित किया जाता है, तो अदालत, कलेक्टर द्वारा बोर्ड को नोटिस दिया जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत नोटिस के अभाव में, वाद या कार्यवाही में पारित कोई डिक्री या आदेश घोषित किया जाएगा। शून्य, यदि बोर्ड को इसके बारे में पता चलने के एक महीने के भीतर

मुकदमा या कार्यवाही, इस ओर से न्यायालय में लागू होती है।

(4) उप-धारा (2) के तहत सूचना के अभाव में, बिक्री को अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, यदि बोर्ड, इसके एक महीने के भीतर बिक्री के बारे में पता चलने पर, इस ओर से अदालत में लागू होता है या

अन्य प्राधिकारी जिसके आदेश के तहत बिक्री आयोजित की गई थी।

26. धारा 90 की उप-धारा (1) से यह देखा जाता है कि यह "न्यायालय या न्यायाधिकरण" शब्दों का उपयोग करता है और यह संबंधित वाद या कार्यवाही को संदर्भित करता है। वक्फ संपत्ति का स्वामित्व या कब्जा या मुतवल्ली या लाभार्थी का अधिकार।

27. धारा 86,89 और 90 के संचयी अध्ययन से पता चलता है कि धारा 85 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रतिबंध पूर्ण और सर्वशक्तिमान नहीं है।

और ऐसे मामले हो सकते हैं जिन पर अभी भी दीवानी अदालतों द्वारा विचार किया जा सकता है। वास्तव में, धारा 93 जो मुतवल्ली को किसी भी मुकदमे में विरोधी पक्ष के साथ समझौता करने से रोकती है, "अदालत" को भी संदर्भित करती है। धारा 93 इस प्रकार हैः

" 93. मुतावल्लियों द्वारा या उनके खिलाफ मुकदमों के समझौते पर रोक। मुतवल्ली द्वारा या उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई मुकदमा या कार्यवाही नहीं

वक्फ संपत्ति के स्वामित्व या उनके अधिकारों से संबंधित वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना मुतवल्ली से समझौता किया जाएगा।

28. हमने कहीं और देखा है कि धारा 83 (2) विशेष रूप से, (i) किसी भी मुतवल्ली; (ii) वक्फ में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति; और (iii) अधिनियम के तहत दिए गए आदेश से व्यथित किसी भी अन्य व्यक्ति को अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाती है।

किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य [2021] के निर्धारण के लिए न्यायाधिकरण 13 एस. सी. आर.

वक्फ से संबंधित मामला। धारा 83 (2) वक्फ बोर्ड का कोई संदर्भ नहीं देती है। हालांकि, धारा 94 (1) बोर्ड को उचित आदेशों के लिए न्यायाधिकरण में आवेदन करने में सक्षम बनाती है, जब भी कोई मुतवल्ली मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त कार्य करने में विफल रहता है। 1954 के अधिनियम की धारा 61 के तहत, ऐसा आवेदन हो सकता है - बोर्ड द्वारा केवल न्यायालय को दिया गया, लेकिन अब इसे धारा 94 (1) के तहत न्यायाधिकरण को दिया जा सकता है।

29. धारा 83 और 85 में प्रयुक्त भाषा को ध्यान में रखते हुए,

धारा 86,90 और 93 में दीवानी न्यायालयों के संदर्भ में, यह प्रतीत होता है

कि दीवानी न्यायालय की अधिकारिता पर रोक का प्रश्न, कानून निर्माताओं द्वारा न्यायिक राय की अनिश्चितताओं पर छोड़ दिया गया है और इसने परस्पर विरोधी निर्णयों को जन्म दिया है, जिनमें से कुछ पर अब हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे।

30. इस न्यायालय के कुछ निर्णय, जिनमें यह विवाद है

संबोधित किया गया था, एक मेज के रूप में प्रस्तुत किया गया है, आसान प्रशंसा के उद्देश्य से। कारण शीर्षक और उद्धरण के अलावा, नीचे दी गई तालिका

उस मंच का संकेत देता है जहाँ से मूल कार्यवाही की जाती है उन मामलों में, वादी/आवेदक द्वारा उन मूल कार्यवाहियों में मांगी गई राहत और तथ्यों का सारांश और निर्धारित अनुपात

उनमें से प्रत्येक में नीचे।

एस. कोई कारण शीर्षक और मामला नहीं

उत्सर्जित करना।

राहत की मांग की

इस सवाल पर इस

अदालत की राय

मूल

सिविल से

सिविल का अधिकार क्षेत्र

नहीं।

अदालत/वक्फ

अदालत/न्यायाधिकरण

कार्यवाही

न्यायाधिकरण

सैयद मुहम्मद

शीर्षक की घोषणा

1. मामला एक दीवानी मुकदमे से उठा

दीवानी अदालत

और पुनर्प्राप्ति

1984 में दाखिल किया गया, के आगमन से पहले

मशूर कुन्ही कोयल थंगल

वक्फ अधिनियम, 1995।

का अधिकार

मुक़दमे की अनुसूची

2. निचली अदालत ने मुकदमे का फैसला सुनाया, लेकिन

वी. एस.

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे उलट दिया। में

बडागरा जुमायथ

संपत्ति।

1988 में दायर की गई दूसरी अपील आई

पल्ली धरास

समिति

के आगमन के बाद

2001 में सुनवाई के लिए

(2004) 7 एस. सी. सी. 708

1995 के अधिनियम

में, उच्च न्यायालय ने एक

सूट आज़माएँ।

3. हालांकि इस अदालत ने उलट दिया

उच्च न्यायालय का निर्णय,

वही

सूट की रखरखाव क्षमता।

शुद्ध परिणाम

कि उच्च न्यायालय की राय है कि

अधिकार क्षेत्र का सवाल

छोड़ दिया गया था

अछूत।

से स्पष्ट नहीं है

1. मुकदमा दिसंबर,

1976 में दायर किया गया था।

सरदार खान

दीवानी अदालत

2

तथ्यों का वर्णन और परीक्षण (दीवानी) अदालत

ने खारिज कर दिया

वी. एस.

सैयद नजमुल हसन

निर्णय।

23.01.1996 पर

योग्यता पर मुकदमा। वक्फ

(2007) 10 एस. सी. सी. 727

अधिनियम, 1995 से
हुआ।

लागू
01.01.1996 .

2. वादी ने पहले एक

अपील दायर की

1-3-1996 पर उच्च

न्यायालय ने तर्क दिया

कि दीवानी अदालत ने

बंद कर दिया

लागू होने के बाद

अधिकारिता

1995 का अधिनियम।

उच्च न्यायालय सहमत हुआ और

दलों को वक्फ के हवाले

कर दिया

न्यायाधिकरण। इसमें

चुनौती दी गई थी

अदालत।

राशिद वली बेग बनाम। फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

जो किसी भी मुक़दमे का विषय है
1995 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले एक दीवानी अदालत में स्थापित या शुरू किया गया।

4. यह मानते हुए, इस न्यायालय ने
उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया जिसने पक्षकारों को वक्फ न्यायाधिकरण में भेज दिया।

वक्फ ट्रिब्यूनल

रमेश

बेदखली के लिए मुकदमा 1. किरायेदारों को बेदखल करने
के लिए दायर किए गए मुकदमे

गोबिंदराम

किरायेदारों के लिए वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला
सुनाया गया। किरायेदारों ने दाखिल किया

में से

उच्च न्यायालय के समक्ष वक्फ पुनरीक्षण याचिकाओं पर
कब्जा कर लिया लेकिन

वी. एस.

संपत्तियाँ।

उच्च न्यायालय ने संशोधन को
खारिज कर दिया

सुरग्रा हुमायूं

मिर्जा वक्फ

याचिकाएँ। इसलिए किरायेदार
अपील पर थे।

(2010) 8 एस. सी. सी. 726

2. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित
किया कि वक्फ अधिनियम, 1995

इससे पहले किसी भी कार्यवाही का
प्रावधान नहीं है

विवाद के निर्धारण के लिए

न्यायाधिकरण
एक किरायेदार को बेदखल करने के बारे में

वक्फ संपत्ति पर कब्जा या अधिकार

और
ऐसे पट्टेदार और पट्टेदारों के दायित्व

केवल दीवानी अदालत के समक्ष

दायर किया जाए और नहीं
न्यायाधिकरण के समक्ष, इस न्यायालय ने खारिज कर दिया

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालयों के

विचार,

राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और

पंजाब और हरियाणा। द्वारा लिए गए विचार

इलाहाबाद, कर्नाटक, मद्रास के उच्च

न्यायालय
और बॉम्बे की पुष्टि की गई। यह आगे आयोजित किया गया था

कि रुचि न रखने वालों का हित

वक्फ (गैर-मुसलमान) को खतरे में

डाल दिया जाएगा यदि
धारा 6 (1) केवल मुत्तावल्ली तक ही सीमित है।

बोर्ड और वक्फ में रुचि रखने वाले,

इसलिए

धारा 6 (1) द्वारा लगाई गई विशेष

सीमा है
अजनबियों के लिए लागू नहीं।

वक्फ बोर्ड बनाम.

दीवानी अदालत

उठ रहे हैं सवाल

1. जबकि उच्च न्यायालय के एकल

न्यायाधीश

अनीस फातमा बेगम

ये थेः ( ) क्या यह अभिनिर्धारित किया गया है कि वक्फ अधिनियम इसके लिए लागू है

(2010) 14 एस. सी. सी. 588

का विभाजन

वक्फ-अल-अल-औलाद के लिए निर्धारित संपत्ति, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने इसे उलट दिया।

अचल

2. निर्णय को पलटते हुए

संपत्ति दो भागों में विभाजित विशिष्ट भाग,

उच्च न्यायालय की खंड पीठ, यह न्यायालय

वक्फ-अल-अल के लिए एक ने माना कि शब्द, "कोई भी विवाद, प्रश्न या औलाद, और अन्य अन्य मामले" बहुत व्यापक शब्द हैं।

धर्मपरायण और

अर्थ और यह कि न्यायाधिकरण के पास सब कुछ है

धार्मिक उद्देश्य

शक्ति सहित दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ

के अनुसार है

आदेश के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा देना

((ii) क्या 3। इस न्यायालय ने आगे कहा कि हालांकि वक्फ अधिनियम की धारा 83 (2) अधिनियम के तहत पारित आदेशों को संदर्भित करती है, धारा 83 (1) और 84 के लिए लागू प्रावधानों का स्वतंत्र हिस्सा है और उन्हें अधिनियम के तहत पारित आदेश की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति

वक्फ न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र के लिए निर्धारित। भले ही नहीं।

वक्फ-अल-अल-औलाद। अधिनियम के तहत आदेश पारित किया गया है, पक्ष वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है।

4. रमेश गोबिंदरम में निर्णय था

प्रतिष्ठित, इस आधार पर कि वही

निष्कासन विवाद से संबंधित।

[202

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिकार के लिए सूट और 1. अधिकार के लिए

एक सूट और

5

पंजाब राज्य वक्फ। वक्फ

बोर्ड

न्यायाधिकरण

मेसन लाभ द्वारा

निर्धारित किया गया था

बहुत लाभ होता है।

वक्फ ट्रिब्यूनल।

लेकिन ए.

वी. एस.

प्रितपाल सिंह

रिट याचिका,

उच्च न्यायालय

2013 एससीसी ऑनलाइन

फैसले को

दरकिनार

करें

वक्फ ट्रिब्यूनल जमीनी स्तर पर

एससी 1345

कि न्यायाधिकरण

के पास नहीं था

मुक़दमे पर

विचार करने का अधिकार क्षेत्र

निष्कासन के

लिए।

2. हालांकि, इस अदालत ने निर्धारित किया

न्यायालय ने
अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा था
वक्फ के सामने रख-रखाव योग्य

न्यायाधिकरण।

इस अदालत ने इंगित किया

कि उच्च

न्यायालय ने गलत समझा

बेदखली के लिए

एक होने का मुकदमा,

वास्तव में इसके

लिए था

कब्ज़ा और बहुत

से लाभ।

अक्कोड जुमायथ

स्थायी के लिए सूट

1. स्थायी के

लिए एक सूट

6

सबसे पहले दाखिल किया गया

निषेधाज्ञा पहले

दायर की गई थी

पल्ली परिपालन

सिविल से पहले

निषेधाज्ञा

समिति

अदालत, लेकिन

दीवानी अदालत,

लेकिन यह था

बाद में

वक्फ

न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया गया।

वी. एस.

पी. वी. इब्राहिम हाजी

स्थानांतरित किया गया

2. वक्फ

ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाया

और ओआरएस।

वक्फ

मुकदमा दायर

किया और एक डिक्री दी

(2014) 16 एससीसी 65

न्यायाधिकरण

शाश्वत

निषेधाज्ञा,

अभियुक्तों को

प्रतिबंधित करना

द.

हस्तक्षेप करना

प्रशासन, प्रबंधन,

शांतिपूर्ण

अ

धिकार

और

मस्जिद का

आनंद,

उसके द्वारा
चलाया जाने वाला मदरसा और सभी

83 (9)

अधिनियम,
केरल
उच्च न्यायालय ने खारिज किया

वक्फ
न्यायाधिकरण का निर्णय

उस स्थायी के
लिए एक सूट पकड़ना
निषेधाज्ञा बनाए रखने योग्य नहीं है

वक्फ
न्यायाधिकरण के समक्ष। द.

इस न्यायालय का
निर्णय
रमेश गोबिंदराम। यह

उच्च न्यायालय
का निर्णय

इससे पहले
चुनौती दी गई थी

अदालत।

4. इस अदालत
ने अनुमति दी

के आधार पर की
गई अपील

डब्ल्यू. बी. वक्फ
बोर्ड में निर्णय

वी. अनीस
फातमा बेगम, (2010)

14 एससीसी
588, जिसमें रमेश
गोबिंदराम प्रतिष्ठित थे।

5. दूसरे शब्दों में
एक सूट के लिए
स्थायी निषेधाज्ञा लगाई गई थी

रखने योग्य होने
से पहले
वक्फ ट्रिब्यूनल।

राशिद वली बेग बनाम। फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

भंवर लाल बनाम।

दीवानी अदालत

मुकदमा पहले दायर किया गया था

1. राजस्थान बोर्ड के लिए दीवानी अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था (मुस्लिम वक्फ 1980 के तरीके से कब्जे और कब्जे के प्रत्यर्पण और खातों के प्रत्यर्पण में दायर किया गया था)

खाते लेकिन बाद में

1980 में वापस। इस दौरान

(2014) 16 एस. सी. सी 51

ए शामिल करने के लिए संशोधित

मुकदमा लंबित होने के कारण, 1983 में बिक्री घोषित करने के लिए संपत्ति को बेच दिया गया था और इसलिए शिकायत विलेख को अमान्य बताते हुए संशोधित किया गया था।

बिक्री विलेख अमान्य था।

2. मुक़दमे के लंबित रहने के दौरान,

1995 अधिनियम लागू हुआ

और इसलिए

न्यायाधिकरण।

3. निचली अदालत ने आवेदन को स्वीकार कर लिया

अदालत। संशोधन को खारिज

कर दिया गया था

उच्च न्यायालय और प्रतिवादी पहले थे

यह न्यायालय।

4. धारा 7 (5) पर ध्यान देने के बाद और

सरदार खान, इस न्यायालय

ने अभिनिर्धारित किया कि

जो मामले पहले से ही लंबित हैं

दीवानी अदालत, बनी रहेगी

विषय वस्तु धारा द्वारा कवर

की जाती है।

6 (1) .

5. रमेश गोबिंदराम में निर्णय,

व्यापक रूप से संदर्भित किया

गया था और यह आयोजित किया गया था

कि अधिकार और किराए के

लिए एक मुकदमा होना है

6. यह भी माना गया कि

राहत

बिक्री विलेख का रद्द करना इसके अंतर्गत नहीं आता है -

धारा 6 या 7 और इसलिए

यह होना चाहिए

दीवानी अदालत द्वारा

मुकदमा चलाया गया।

अधिकार के लिए सूट

1. कब्जे के लिए मुकदमा

दायर किया गया था

हरियाणा वक्फ सिविल कोर्ट

बोर्ड

दीवानी अदालत के समक्ष

वक्फ
बोर्ड

इस आधार पर कि संपत्ति शामिल थी

वी. एस.

धारा के तहत वक्फ संपत्ति के

रूप में अधिसूचित

महेश कुमार

5 (2) .

(2014) 16 एससीसी 45

2. निचली अदालत ने मुकदमे

का फैसला सुनाया लेकिन

प्रथम अपीलीय न्यायालय ने

इसे उलट दिया

इस आधार पर कि एक सवाल उठा है कि क्या मुक़दमे की संपत्ति वक्फ़ है संपत्ति है या नहीं और यह कि उक्त प्रश्न केवल न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाना है। तो। अभिनिर्धारित करते हुए, पहली अपीलीय अदालत ने अलग कर दिया निचली अदालत का फैसला और आदेश दिया आदेश VII के तहत शिकायत की वापसी, नियम 10. उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि दूसरी अपील पर फैसला सुनाया। 3. भंवर में निर्णय पर निर्भर लाल, इस अदालत ने एसएलपी को खारिज कर दिया, जिससे प्रथम अपीलीय के दृष्टिकोण की पुष्टि करना अदालत और उच्च न्यायालय ने कहा कि वक्फ केवल न्यायाधिकरण का ही अधिकार क्षेत्र था।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

किरायेदार को बेदखल करने के लिए वक्फ न्यायाधिकरण, 1. मदरसा समिति ने दाखिल किया

फ़सीला एम.

9

दाखिल किया गया

मदरसा द्वारा

वक्फ के समक्ष एक आवेदन

वी. एस.

समिति

मुन्नरुल

एक के निष्कासन के लिए न्यायाधिकरण वह व्यक्ति जो इस आधार पर

इस्लाम

मदरसा

वक्फ के संबंध में एक किरायेदार

संपत्ति। प्रतिवादी ने इनकार कर दिया

समिति

कि विषय संपत्ति एक वक्फ है

(2014) 16

संपत्ति और उसने भी चुनौती दी

शिकायत की
वापसी के लिए
दीवानी अदालत के समक्ष प्रस्तुति

इस आधार पर
आदेश दें कि मुद्दा
क्या विषय संपत्ति एक है

वक्फ संपत्ति उत्पन्न
हुई है या नहीं

विचार के लिए।

3. वक्फ का उक्त
आदेश

न्यायाधिकरण को
एक में चुनौती दी गई थी

उच्च न्यायालय ने
पुष्टि की कि
वक्फ न्यायाधिकरण का दूसरा आदेश।

4. यह मानते हुए
कि संबंधित मुद्दा

किरायेदार को
बेदखल करने के लिए चौतरफा है
इस निर्णय के अंतर्गत

रमेश गोबिंदराम में
न्यायालय, और
कि भंवर लाल नहीं है

रमेश के साथ
असंगत

गोबिंदराम, इस
अदालत ने अनुमति दी

अपील की और
पहले को बहाल किया

न्यायाधिकरण का
आदेश

शिकायत की
वापसी।

1. मुकदमा दायर
किया गया था

राजस्थान वक्फ ट्रिब्यूनल ने घोषणा के लिए मुकदमा दायर किया कि

10

वक्फ बोर्ड

विषय संपत्ति की बिक्री

मस्जिद के
मुतवल्ली से पहले

शून्य था क्योंकि यह एक वक्फ था

वक्फ ट्रिब्यूनल।

वी. एस.

देवकी

संपत्ति। वहाँ भी एक था

2. न्यायाधिकरण
ने मुकदमा चलाया

नंदन

वैकल्पिक

प्रार्थना करें

संपत्ति वक्फ संपत्ति
होगी
और इसलिए मुकदमे का फैसला किया।

विरोधियों को रोकें

पाठक।

(2017) 14

ज़बरदस्त कब्ज़ा लेना

3. उच्च न्यायालय
ने इस पर रोक लगा दी

संपत्ति से

वक्फ

न्यायाधिकरण का फैसला

एस. सी. सी. 561

व्यक्तियों द्वारा

दायर किया गया पुनरीक्षण

वक्फ।

एक निजी व्यक्ति

जैसे कि

यह एक निजी संपत्ति थी। द हाई

अदालत ने माना

कि उपाय होगा

दीवानी अदालत के

सामने झूठ बोलना।

4. इस अदालत ने अपील को स्वीकार कर लिया

यह मानते हुए कि

मुख्य विवाद

मुक़दमे में यह था

कि क्या विषय

संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं

और भंवर लाल पर

भरोसा किया गया।

पर।

5. इस न्यायालय

ने भी भरोसा किया

धारा 51 जो

बिक्री की घोषणा करती है

बनाई गई किसी

भी वक्फ संपत्ति का

पूर्व अनुमति के

बिना

बोर्ड शून्य के रूप में

और इंगित किया कि

धारा 52 (2) के तहत,

अपील केवल न्यायाधिकरण में थी

इस तरह के मामले।

राशिद वली बेग बनाम। फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

धर्मपाल

दीवानी अदालत

सूट के लिए था

1. राज्य वक्फ बोर्ड ने दायर किया

स्वामित्व और

कब्जा और निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा

वी.

वर्ष में दीवानी अदालत के समक्ष

निषेधाज्ञा

पंजाब वक्फ

1991 (आने से पहले

बोर्ड

संयमित करना

1995 अधिनियम), उन व्यक्तियों के खिलाफ जो

अभियुक्तों से

(2018) 11 एससीसी

भूमि पर कब्जा करना जारी रखना भी

449 :

प्रकृति की

पट्टा और भूमि की समाप्ति के बाद और जिसने भी अतिक्रमण किया

अतिरिक्त भूमि।

कोई भी निर्माण

इसके ऊपर

2. प्रतिवादी नं. 1 काउंटर
दाखिल किया
दावा करता है कि उसके पास प्रभाव है
अधिकार।
3. में दिए गए एक निर्णय द्वारा
1998 (1995 के आगमन
के बाद
जवाबी दावे की अनुमति दी गई
थी
उस प्रतिवादी को नं। 1 था।
प्रतिकूल द्वारा सिद्ध शीर्षक
अधिकार।
4. पहला अपीलीय न्यायालय
फैसले और डिक्री को उलट दिया
प्रतिदावा और आदेश देना
वक्फ बोर्ड का मुकदमा
अधिकार।
5. उच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि
प्रथम अपीलीय का निर्णय
दूसरी अपील पर अदालत और
इससे पहले भी हुआ था विवाद
अदालत।
6. इस न्यायालय ने कई लोगों
को संबोधित किया
मुद्दे, जिनमें से एक बार था
अधिकारिता। चूँकि सूट था
के आगमन से पहले दर्ज किया
गया था
1995 अधिनियम, इस न्यायालय ने संदर्भित किया

वक्फ अधिनियम की धारा
55 सी,
1954 के माध्यम से डाला
गया
तथ्य यह है कि उपरोक्त संशोधन
1984 के अधिनियम 69 के तहत कभी नहीं था
अधिसूचित किया गया और
इसलिए,
धारा 55 सी का कोई अनुप्रयोग नहीं था।
परिणामस्वरूप इस न्यायालय ने
अभिनिर्धारित किया कि
कि दीवानी अदालत ने
मुकदमा तय करने का अधिकार
क्षेत्र
1954 की धारा 6 का गुण
एक्ट करें।

[2021

] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12 पंजाब वक्फ बोर्ड दो थे। 1 में राहत मांगी गई। इससे पहले दो दीवानी अपीलें थीं।

अदालत।

दीवानी अपील की कार्यवाही एक के लिए थी

वी. एस.

इस स्थायी निषेधाज्ञा से पहले शाम सिंह हरिके और 2. एक अपील में तथ्य

(2019) 4 एस. सी. सी. 698 न्यायालय, स्थायी निषेधाज्ञा के लिए मुकदमे में मांगी गई राहत दूसरी कार्यवाही से उत्पन्न होकर दायर की गई थी, जिसमें वक्फ बोर्ड ने सिविल अदालत के समक्ष कब्जा करने के लिए पहले दायर किए गए मुकदमे की मांग की थी और

प्रत्यर्थियों को किसी भी दीवानी अदालत के स्थायी निषेधाज्ञा को उठाने से रोकना। निर्माण और संपत्ति की प्रकृति को कृषि से आवासीय में बदलना।

स्थायी के लिए

निषेधाज्ञा, लेकिन

* प्रतिवादी ने वक्फ के

खिताब से इनकार कर दिया

बोर्ड और सवाल उठाया

जो

मिल गया।

स्थानांतरित किया गया

सूट की रखरखाव क्षमता।

* मुक़दमा वक्फ़ को हस्तांतरित कर दिया गया था

वक्फ

द.

न्यायाधिकरण लेकिन

अस्वीकृति के लिए एक आवेदन

न्यायाधिकरण और

अन्य उत्पन्न हो रहा है

न्यायाधिकरण के समक्ष

याचिका दायर की गई थी

दायर किए गए मुकदमे का

यह आधार देते हुए कि

न्यायाधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

* न्यायाधिकरण ने आवेदन को खारिज कर दिया

वक्फ से पहले

न्यायाधिकरण के लिए

अभियोग की अस्वीकृति,

यह मानते हुए कि वक्फ

अधिकार और

न्यायाधिकरण का

अधिकार क्षेत्र था। लेकिन फैसला

न्यायाधिकरण को उच्च न्यायालय द्वारा उलट दिया गया था

स्थायी

निषेधाज्ञा।

रमेश गोबिंदराम में इस

न्यायालय का। द.

उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि व्यक्ति के खिलाफ

मुसलमान।

3. अगली अपील में तथ्य

* वक्फ बोर्ड ने कब्जे के

लिए मुकदमा दायर किया

और वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष निषेधाज्ञा।

प्रतिवादी ने किरायेदारी

स्वीकार की और दावा किया

सूट का फैसला किया।

* उच्च न्यायालय ने एक संशोधन पर खारिज कर दिया कि

के आधार पर वक्फ

न्यायाधिकरण का निर्णय

रमेश गोबिंदराम में

निर्णय।

यह न्यायालय दो अपीलों
में।
5. इस न्यायालय की राय

संशोधन, संशोधन की
मांग की गई
1984 अधिनियम और के प्रावधानों द्वारा बनाया गया

1995 अधिनियम, इस
न्यायालय ने विस्तार से निपटा

रमेश में इस न्यायालय के
तर्क के साथ
गोबिंदराम।

* इस अदालत ने भी
फैसलों पर ध्यान दिया

भंवर लाल, सरदार
खान, फ़सीला, अनीस

फातमा बेगम, महेश
कुमार और अक्कोडे

जुमायत पल्ली परिपालन
समिति। द.
धारा 6 (1), 7 (1), 33 (4) के प्रावधान,

51 (5) , 52 (4)
और 54 (4) साथ ही

अधिनियम 27 के तहत
धारा 83 (1) में संशोधन

2013 उनका भी
उल्लेख किया गया।
* इसके बाद इस न्यायालय ने शुरुआत में यह निर्णय दिया कि

उच्च न्यायालय का विचार
है कि एक का अधिकार

गैर-मुसलमान को खतरे
में नहीं डाला जा सकता है
अधिनियम, वैधानिक योजना के विपरीत है

धारा 6 में निहित है।

* ऐसा अभिनिर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने पहली अनुमति दी दीवानी अपील जो एक मुकदमे से उत्पन्न हुई

स्थायी निषेधाज्ञा, जो पहले दायर की गई थी

दीवानी अदालत और बाद में वक्फ को स्थानांतरित कर दिया गया

न्यायाधिकरण। इस अदालत द्वारा दिया गया कारण था सवाल यह है कि क्या विषय

संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है या उत्पन्न नहीं हुई है

उक्त वाद में विचार के लिए और इसलिए न्यायाधिकरण के पास अधिकारिता थी।

* हालाँकि, इस न्यायालय ने दूसरी दीवानी याचिका को खारिज कर दिया।

इस आधार पर अपील करें कि यह एक मुकदमा था

संपत्ति और इसलिए उत्पन्न होने वाला मुद्दा उसमें पूरी तरह से निर्णय द्वारा कवर किया गया था

रमेश गोबिंदराम।

राशिद वली बेग बनाम। फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

किरण देवी

इससे पहले कि मुकदमा घोषणा के लिए था

1. मुकदमा मूल रूप से स्थापित किया गया था

दीवानी अदालत जो वादी के पास थी

दीवानी अदालत के समक्ष लेकिन यह था

वी.

बिहार राज्य सुन्नी लेकिन यह किरायेदारी के लिए सफल रहा

वक्फ न्यायाधिकरण को हस्तांतरित किया गया

वक्फ बोर्ड

संयुक्त के सदस्य के रूप में अधिकारों को हस्तांतरित किया गया

हिंदू परिवार और उस वक्फ बोर्ड और दूसरे पर 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन वक्फ न्यायाधिकरण द्वारा लिया गया एक आवेदन। मुकदमे का न्यायाधिकरण को हस्तांतरण

एक आवेदन इसलिए वादी है

एससी 280

चुनौती दी गई लेकिन व्यर्थ।

जारी रखने के लिए हकदार द्वारा दायर किया गया वक्फ बोर्ड और किरायेदार।

इसलिए, पक्षकार मुकदमे में चले गए

नया किरायेदार

वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष।

में शामिल किया गया

2. न्यायाधिकरण ने मुकदमा खारिज कर दिया,

द्वारा परिसर

लेकिन इसके खिलाफ दायर
एक रिट याचिका पर
उक्त आदेश, उच्च न्यायालय

वक्फ बोर्ड।

उसी को उलट दिया।

दरअसल,

फैसला गुण-दोष पर था।

3. इस न्यायालय के समक्ष
यह था कि

तर्क दिया कि न्यायाधिकरण
के पास नहीं था

निर्णय को देखते हुए
अधिकार क्षेत्र

रमेश गोबिंदराम की शर्तें,
वक्फ ट्रिब्यूनल एक नहीं दे सका

घोषणा जैसा कि दावा किया
गया है

वादी, इस न्यायालय ने
अभिनिर्धारित किया कि यह

ऐसा मामला नहीं जहाँ
अधिकार क्षेत्र था
पक्षों की सहमति से प्रदान किया गया, लेकिन

मामला जहाँ कार्यवाही
की गई थी

न्यायिक आदेश द्वारा एक को
हस्तांतरित किया गया
न्यायाधिकरण।

तेलंगाना राज्य

वक्फ ट्रिब्यूनल निष्कासन के लिए

1. वक्फ न्यायाधिकरण ने
फैसला सुनाया कि

वक्फ बोर्ड

किरायेदार, दोनों से

मुकदमा दायर किया और प्रतिवादियों को किराए के हिस्से के साथ-साथ मुकदमे की संपत्ति को खाली करने का निर्देश दिया।

वी. एस.

अतिक्रमण किया हुआ हिस्सा।

2. लेकिन एक संशोधन पर, उच्च न्यायालय ने

मोहम्मद मुजफ्फर

फैसले को दरकिनार करें

2021 एससीसी ऑनलाइन

न्यायाधिकरण इस आधार पर कि

एससी 537

रमेश में निर्णय का

गोबिंदराम सूट नहीं था वक्फ के सामने रख-रखाव योग्य

न्यायाधिकरण।

3 . हालाँकि, यह न्यायालय

विशिष्ट रमेश गोबिंदराम

इस आधार पर कि एक सूट

किसी व्यक्ति को किस चीज से बाहर निकालना है माना जा सकता है कि एक वक्फ संपत्ति

एक से अलग पायदान पर खड़े हों

एक व्यक्ति को बाहर निकालने के लिए मुकदमा

ऐसी संपत्ति जिसे विवादित माना जाता है

वक्फ संपत्ति।

4. इस न्यायालय ने निर्णय को नोट किया हरिके, और अंत में आया निष्कर्ष यह है कि तथ्य और प्रत्येक मामले की परिस्थितियाँ में ध्यान दिया जाना चाहिए कानूनी ढांचे की पृष्ठभूमि वक्फ अधिनियम में निहित, से
अधिकारिता निर्धारित करें। यह न्यायालय दोहराया कि जहाँ भी विषय हो संपत्ति को वक्फ होना
विवादित है
संपत्ति, मुद्दा गिर जाएगा के अधिकार क्षेत्र के भीतर
वक्फ न्यायाधिकरण।

1] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मुहम्मद मशूर कुन्ही कोयल थंगल और सरदार खान) उभरे, वक्फ अधिनियम, 1995 के आने से बहुत पहले इसकी स्थापना की गई थी और इसलिए अधिनियम की धारा 7 (5) के आधार पर उसमें निर्धारित अनुपात वास्तविक विवाद पर कोई प्रकाश नहीं डालता है। रमेश गोबिंदरम में इस न्यायालय का निर्णय, जिसे उपरोक्त तालिका में Sl.No.3 में शामिल किया गया है, वही है, जिसने विडंबनापूर्ण रूप से, विवाद को निपटाने का प्रयास किया, लेकिन बाद के निर्णयों में परस्पर विरोधी परिणाम दिए हैं। द.

(एस. सी. सी. रिपोर्ट के) पैराग्राफ 2 से देखा गया है कि रमेश गोबिंदराम में केवल एक ही सवाल उठा है कि क्या वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने वाले व्यक्तियों को बेदखल करने के विवाद पर विचार करने और निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, इस न्यायालय ने कुएँ के साथ अपनी चर्चा शुरू की। स्थापित नियम है कि दीवानी न्यायालय की अधिकारिता को हटाने का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और अधिकारिता की बाधा व्यक्त या निहित होनी चाहिए। इस तरह की नींव रखने के बाद, इस न्यायालय ने मुख्य रूप से धारा 6 और 7 पर निर्माण शुरू किया। यह शायद धारा 6 और 7 को दिए गए शीर्षक के कारण था। जबकि धारा 6 का शीर्षक दिया गया है, "विवाद।

वक्फ के संबंध में, धारा 7 का शीर्षक दिया गया है "वक्फ के संबंध में विवादों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति"। जब रमेश गोबिंदराम पर निर्णय लिया गया था, तब धारा 6 और 7 को इस प्रकार पढ़ा गया थाः

6. वक्फ के बारे में विवाद। (1) यदि कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति

वक्फ की सूची वक्फ संपत्ति है या नहीं या वक्फ निर्दिष्ट है या नहीं

ऐसी सूची में एक शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ, बोर्ड या वक्फ का मुतवल्ली या उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति प्रश्न के निर्णय और निर्णय के लिए न्यायाधिकरण में मुकदमा दायर कर सकता है।

ऐसे मामले के संबंध में न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगाः

बशर्ते कि ऐसा कोई भी मुकदमा न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वक्फ की सूचीः

स्पष्टीकरण। इस धारा और धारा 7 के प्रयोजनों के लिए, "उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति" वाक्यांश, वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट किसी भी संपत्ति के संबंध में होगा।

इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्रकाशित, प्रत्येक व्यक्ति को भी शामिल करेगा जो, हालांकि संबंधित वक्फ में रुचि नहीं रखता है,

ऐसी संपत्ति में रुचि रखता है और जिसके लिए एक उचित अवसर राशिद वली बेग v.

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

धारा 4 के तहत प्रासंगिक जांच के दौरान उस ओर से उसे दिए गए नोटिस द्वारा अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था।

(2) उप-धारा (1) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी वक्फ के संबंध में इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जाएगी।

केवल ऐसे किसी वाद के लंबित होने या ऐसे वाद से उत्पन्न होने वाली किसी अपील या अन्य कार्यवाही के कारण। (3) सर्वेक्षण आयुक्त को उप-धारा (1) के तहत किसी भी मुकदमे में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा और इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के अनुसरण में सद्भावना से की गई या करने का इरादा रखने वाली किसी भी चीज़ के संबंध में उसके खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(4) वक्फों की सूची, जब तक कि इसे अनुसरण में संशोधित नहीं किया जाता है

उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।

(5) किसी राज्य में इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर और उसके बाद से कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही शुरू या शुरू नहीं की जाएगी। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रश्न के संबंध में उस राज्य के न्यायालय में।

7. संबंधित विवादों को निर्धारित करने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति

वक्फ। (1) यदि इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट है। वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति है या नहीं, या वक्फ संपत्ति है या नहीं।

ऐसी सूची में निर्दिष्ट किया गया है कि शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ, वक्फ का बोर्ड या मुतवल्ली, या उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसी संपत्ति के संबंध में अधिकारिता रखने वाले न्यायाधिकरण को प्रश्न के निर्णय के लिए आवेदन करें और उस पर न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगाः

बशर्ते कि

(क) के किसी भी भाग से संबंधित वक्फ की सूची के मामले में राज्य और इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद प्रकाशित ऐसे किसी भी आवेदन पर वक्फ की सूची के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद विचार नहीं किया जाएगा; और

(ख) राज्य के किसी भी भाग से संबंधित वक्फ की सूची के मामले में और [2021] 13 एस. सी. आर. की अवधि के भीतर किसी भी समय प्रकाशित की गई।

शुरू होने से तुरंत पहले एक वर्ष

इस अधिनियम से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसे आवेदन पर न्यायाधिकरण द्वारा विचार किया जा सकता है।

प्रारम्भः

बशर्ते कि जहां ऐसे किसी प्रश्न की सुनवाई की गई है और अंत में सिविल न्यायालय द्वारा ऐसे प्रारंभ से पहले स्थापित मुकदमे में निर्णय लिया गया है, वहां न्यायाधिकरण ऐसे प्रश्न को फिर से नहीं खोलेगा।

(2) सिवाय इसके कि जहां उप-धारा (5) के प्रावधानों के कारण न्यायाधिकरण की कोई अधिकारिता नहीं है, इसके तहत कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

किसी वक्फ के संबंध में धारा पर किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण द्वारा केवल किसी ऐसे वाद, आवेदन या अपील या ऐसी किसी वाद, आवेदन, अपील या अन्य कार्यवाही से उत्पन्न होने वाली अन्य कार्यवाही के लंबित होने के कारण रोक लगाई जाएगी।

(3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया जाएगा।

उप-धारा (1) के तहत किसी भी आवेदन के लिए।
(4) वक्फों की सूची और जहां ऐसी किसी सूची को उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुसरण में संशोधित किया जाता है,

इस प्रकार संशोधित सूची अंतिम होगी।
(5) न्यायाधिकरण के पास किसी ऐसे मामले को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा जो अधिनियम के प्रारंभ से पहले धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत किसी दीवानी अदालत में स्थापित या शुरू किए गए किसी मुकदमे या कार्यवाही का विषय है या जो इस तरह से पारित डिक्री से किसी भी अपील का विषय है।

ऐसे किसी वाद या कार्यवाही में या ऐसे वाद, कार्यवाही या अपील से उत्पन्न संशोधन या समीक्षा के लिए किसी आवेदन का प्रारंभ,

जैसा कि मामला हो सकता है।

31. ऊपर निकाली गई धारा 6 और 7 के खाली पढ़ने से पता चलता है कि इसमें प्रयुक्त भाषा ने बिना किसी अपवाद के कई अदालतों का ध्यान भटकाया है। हम ऐसा कहने का कारण यही है। अधिनियम की योजना पर सावधानीपूर्वक नज़र डालने से पता चलेगा कि अधिनियम को 9 अध्यायों में विभाजित किया गया है। अध्याय-II जिसमें धारा 4 से 8 शामिल हैं, मुख्य रूप से वक्फसा के सर्वेक्षण से संबंधित है। धारा 6 और 7 केवल अध्याय-2 की योजना के लिए आनुषंगिक हैं, यही कारण है कि वे केवल दो प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, अर्थात् (i) क्या कोई विशेष संपत्ति - 4 "वक्फ" शब्द को 2013 के संशोधन अधिनियम 27 द्वारा "औकाफ" शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है।

32. धारा 83 और 85 के साथ-साथ धारा 86,90 और 93, जो "अदालत" शब्द का उपयोग करती हैं, अधिनियम के अध्याय VIII में पाए जाते हैं। द. अध्याय VIII को दिया गया शीर्षक "न्यायिक कार्यवाही" है। इसलिए, धारा 85 के तहत अधिकारिता के प्रतिबंध से संबंधित प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए, केवल धारा 6 (5) या धारा 7 (2) का उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है। धारा 85 की भाषा स्पष्ट रूप से धारा 6 (5) और धारा 7 (2) में प्रयुक्त भाषा के विपरीत है।

33. धारा 6,7 और 85 के संयुक्त पठन से पता चलेगा कि दीवानी न्यायालय की अधिकारिता का अवरोध धारा 6 (5) और धारा में निहित है।

7 (2) यह अध्याय-II तक ही सीमित है, लेकिन धारा 85 के तहत अधिकारिता का अवरोध व्यापक है। इसे निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं से देखा जा सकता हैः

(i) धारा 6 (5) निर्दिष्ट किसी भी प्रश्न के संबंध में अदालत में किसी मुकदमे या अन्य कानूनी कार्यवाही को शुरू करने या शुरू करने पर रोक लगाती है।

उप-धारा (1) "में। धारा 6 की उप-धारा (1) केवल दो प्रश्नों के बारे में बताती है, कि क्या वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट कोई विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं और क्या वक्फ शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है।

((ii) धारा 7 (2) किसी भी अदालत, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण को वक्फ के संबंध में वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष किसी भी कार्यवाही पर रोक लगाने से रोकती है।

किसी वाद, आवेदन या अपील या अन्य कार्यवाही के लंबित होने के एकमात्र आधार पर। धारा 7 (2) विशेष रूप से धारा 7 के तहत कार्यवाही से संबंधित है न कि किसी अन्य कार्यवाही से। "इस धारा के तहत कोई कार्यवाही नहीं" शब्दों के उपयोग से यह स्पष्ट है। धारा 7 (1) फिर से केवल दो प्रश्नों से संबंधित है, अर्थात् क्या कोई विशेष संपत्ति है।

वक्फ की सूची में वक्फ संपत्ति के रूप में निर्दिष्ट वक्फ संपत्ति है या नहीं और क्या सूची में निर्दिष्ट वक्फ शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है। इसलिए, धारा 7 (2) के तहत प्रतिबंध भी केवल इन दोनों [2021] 13 एस. सी. आर. तक ही सीमित है।

प्रश्न, "इस धारा के तहत कोई कार्यवाही नहीं" शब्दों के उपयोग के कारण। (iii) जबकि धारा 6 (1) और 7 (1) केवल दो प्रश्नों के बारे में बात करते हैं जो अधिनियम के अध्याय-II द्वारा कवर किए गए मामलों के लिए उपयुक्त हैं।

अकेले, धारा 85 (i) किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के बारे में और (ii) "अन्य मामले" के बारे में बात करती है।

(iv) एक ओर धारा 6 (1) और 7 (1) और दूसरी ओर धारा 83 के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि विवाद, धारा 6 और 7 में निर्दिष्ट प्रश्न या अन्य मामले सीमित हैं।

केवल वही जो धारा 4 के तहत तैयार और धारा 5 के तहत प्रकाशित वक्फ की सूची में शामिल है। धारा 6 (1) और 7 (1) में पाए जाने वाले "वक्फ की सूची में निर्दिष्ट" शब्द धारा 83 (1) में उनकी अनुपस्थिति के कारण विशिष्ट हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 6 और 7 केवल दो श्रेणियों के मामलों के बारे में बात करते हैं, लेकिन धारा 83 किसी भी वक्फ या वक्फ संपत्ति के संबंध में संभावित विवादों के पूरे सरगम को शामिल करती है।

34. यह देखा गया है कि धारा 85 के 2 अंग हैं। शब्द, "कोई भी विवाद, प्रश्न या किसी भी वक्फ या वक्फ से संबंधित अन्य मामला।

धारा 85 के पहले अंग में उपयोग की जाने वाली संपत्ति से स्पष्ट संकेत मिलता है कि न्यायाधिकरण के पास किसी भी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

और धारा 6 (1) और 7 (1) में उल्लिखित दो प्रश्नों सहित वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर दें। धारा 85 के दूसरे अंग में शब्द अर्थात् "अन्य विषय जो इसके द्वारा अपेक्षित है"

या एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले इस अधिनियम के तहत, उन मामलों को शामिल करना चाहते हैं जिनकी धारा 6 (1) और 7 (1) द्वारा कवर किए गए दो प्रश्नों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

35. दुर्भाग्य से, कई अदालतों को संदर्भ से गुमराह किया गया था

धारा 6 (1) और 7 (1) में दो विशिष्ट प्रश्न, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अधिकारिता का बार केवल चारों ओर घूमने वाले विवादों तक ही सीमित था वे दो सवाल।

36. दिलचस्प बात यह है कि रमेश गोबिंदरम में निर्णय के आधार को 2013 के अधिनियम 27 के तहत एक संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया था। जैसा कि हमारे पास है।

रमेश गोबिंदराम ने इस सवाल का जवाब देने की मांग की कि क्या वक्फ ट्रिब्यूनल उन लोगों की बेदखली के बारे में विवादों पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सक्षम है, जिन पर कब्जा किया गया है। स्वीकार्य रूप से वक्फ संपत्तियाँ। चूँकि इस न्यायालय ने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया था, इसलिए 2013 के अधिनियम 27 द्वारा राशिद वाली बी. ई. जी. v. को शामिल करने के लिए धारा 83 (1) में संशोधन किया गया था।

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमणियन, जे.]

शब्द, "किरायेदार का निष्कासन या ऐसी संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण"।

37. साथ ही, 2013 के अधिनियम 27 द्वारा धारा 7 में उप-धारा (6) जोड़ी गई थी। धारा 7 की इस उप-धारा (6) में कहा गया है कि न्यायाधिकरण को अनधिकृत रूप से नुकसान का आकलन करने की शक्ति होगी। वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना और वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए ऐसे अनधिकृत कब्जाधारियों को दंडित करना और कलेक्टर के माध्यम से भूमि राजस्व के बकाया के रूप में नुकसान की वसूली करना। वह इस प्रकार हैः

(6) न्यायाधिकरण के पास मूल्यांकन की शक्तियाँ होंगी -

वक्फ संपत्ति के अनधिकृत कब्जे से नुकसान और

ऐसे अनधिकृत रहने वालों को उनके अवैध होने के लिए दंडित करना

वक्फ संपत्ति पर कब्जा करना और नुकसान की वसूली करना

कलेक्टर के माध्यम से भूमि राजस्व के बकाया के रूप मेंः बशर्ते कि जो कोई भी, एक लोक सेवक होने के नाते, अतिक्रमण को रोकने या हटाने के अपने वैध कर्तव्य में विफल रहता है,

दोषसिद्धि जुर्माने से दंडनीय होगी जो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए पंद्रह हजार रुपये तक हो सकता है।

आदर्श रूप से, उप-धारा (6) के प्रावधानों को धारा 83 में कहीं स्थान मिलना चाहिए था, क्योंकि जिसे उप-धारा में शामिल करने की मांग की गई है।

धारा 7 की धारा (6) का उन दो प्रश्नों से कोई संबंध नहीं है जिनके बारे में धारा 7 (1) बोलती है। लेकिन संसद ने धारा 7 में कुछ शामिल करना उचित क्यों समझा, जिसका धारा 7 की उप धारा (1) से कोई संबंध नहीं है, शायद यह तथ्य है कि रमेश गोबिंदराम ने मुख्य रूप से धारा 6 और 7 की भाषा पर ध्यान दिया।

38. उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि रमेश गोबिंदराम का आधार अब 2013 के संशोधन अधिनियम 27 के माध्यम से हटा दिया गया है।

वास्तव में, जब रमेश गोबिंदराम पर निर्णय लिया गया था, तो धारा 6 (1) और 7 (1) ने केवल तीन श्रेणियों के व्यक्तियों को वक्फ न्यायाधिकरण से संपर्क करने में सक्षम बनाया। राहत के लिए। वे हैं, (i) बोर्ड; (ii) वक्फ का मुतवल्ली; या (iii) उसमें रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति। हालांकि, धारा के तहत स्पष्टीकरण

6 (1) स्पष्ट किया कि "कोई भी व्यक्ति जो इसमें रुचि रखता है" अभिव्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति शामिल होगा, जो वक्फ में रुचि नहीं रखता है, हालांकि वह रुचि रखता है।

संपत्ति में। लेकिन 2013 के अधिनियम 27 द्वारा "कोई भी इच्छुक व्यक्ति" शब्दों को "कोई भी व्यथित व्यक्ति" शब्दों से प्रतिस्थापित किया गया, जिसका अर्थ है

ताकि एक गैर-मुसलमान भी न्यायाधिकरण की अधिकारिता का आह्वान करने का हकदार हो। "कोई भी व्यक्ति [2021] 13 एस. सी. आर". शब्दों के प्रतिस्थापन के कारण।

2013 के अधिनियम 27 ने 6 (1) के तहत स्पष्टीकरण को हटा दिया है। इस संशोधन ने रमेश में व्यक्त की गई चिंता को भी दूर किया है।

गोबिंदराम (एस. सी. सी. रिपोर्ट के पैरा 21 में) क्या किसी गैर-मुसलमान को अधिकार क्षेत्र के बार द्वारा खतरे में डाला जा सकता है, केवल इसलिए कि संपत्ति वक्फ की सूची में शामिल है। हमें इस स्तर पर यह बताना चाहिए कि धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत स्पष्टीकरण, जैसा कि उस समय था जब रमेश गोबिंदराम पर निर्णय लिया गया था, पहले से ही इस पर ध्यान दिया गया था।

आकस्मिकता, लेकिन इस अदालत के ध्यान में लाए जाने के लिए छोड़ दिया गया था।

39. रमेश गोबिंदराम के बाद से, मुख्य रूप से दोनों पर ध्यान केंद्रित किया

धारा 6 (1) और 7 (1) में इंगित प्रश्न और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि न्यायाधिकरण के पास विवादों पर निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा

उन संपत्तियों के संबंध में जो स्वीकार्य रूप से वक्फ संपत्तियां हैं, रमेश गोबिंदराम के बाद कुछ निर्णय चरम पर चले गए

यह विचार कि यदि किसी संपत्ति को दोनों पक्षों द्वारा वक्फ संपत्ति माना जाता है, तो वक्फ न्यायाधिकरण के पास किसी विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

उक्त संपत्ति के संबंध में। इस तरह के निष्कर्ष से एक विसंगति पैदा हुई, अर्थात् न्यायाधिकरण के पास इस बड़े प्रश्न को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होगा कि क्या कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं, लेकिन स्वीकार्य रूप से वक्फ संपत्तियों से संबंधित छोटे प्रश्न नहीं होंगे। आम तौर पर सांविधिक अधिनियमों में दीवानी न्यायालयों की अधिकारिता की बाधा से संबंधित खंड की व्याख्या करते समय, यह न्यायालय भाषा के आधार पर सोचने की प्रवृत्ति रखता है। यह नियोजित है कि बड़े प्रश्नों का निर्णय अभी भी दीवानी अदालतों द्वारा किया जा सकता है, जबकि छोटे प्रश्नों का निर्णय अधिनियम के तहत गठित विशेष मंच द्वारा किया जाना है। लेकिन वक्फ अधिनियम, 1995 के मामले में, उल्टा हुआ है, अदालतों ने फैसला सुनाया है कि यदि कोई संपत्ति स्वीकार्य रूप से वक्फ संपत्ति है, तो न्यायाधिकरण के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, हालांकि इसके पास होगा

यह तय करने का अधिकार क्षेत्र कि कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं।

40. किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने के बारे में स्वीकार या इनकार के आधार पर किया जाने वाला भेद भी सक्षम था

एक और शरारती परिणाम। उदाहरण के लिए एक ऐसे मामले को लें जहां एक संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में विवादित किया गया है। फिर रमेश के फैसले के अनुसार

गोबिंदराम, वक्फ ट्रिब्यूनल के पास इस सवाल का फैसला करने का अधिकार क्षेत्र होगा कि यह वक्फ संपत्ति है या नहीं। मान लीजिए कि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि विवादित संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है, तो क्या

न्यायाधिकरण के पास तब भी राहत देने का अधिकार क्षेत्र बना रहेगा या क्या उसे अधिकार क्षेत्र से वंचित किया जाएगा, केवल इसलिए कि संपत्ति वक्फ संपत्ति पाई गई थी? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं मिल सकता है यदि हम प्रतिबंधात्मक व्याख्या को अपनाएँ। यही कारण है कि बाद में राशिद वाली बी. ई. जी. वी.

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

इस न्यायालय के फैसलों ने रमेश को अलग करके एक आसान रास्ता निकाला।

गोबिंदराम। उदाहरण के लिए, अनीस फातमा बेगम में निर्णय ने रमेश गोबिंदराम को इस आधार पर अलग किया कि रमेश गोबिंदराम एक बेदखली विवाद तक ही सीमित थे और धारा 83 (1) में दिखाई देने वाले "कोई भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले" व्यापक अर्थ के शब्द हैं। इसी तरह, अक्कोड जुमायथ पल्ली परिपालन समिति ने इस आधार पर वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा दायर किया कि रमेश गोबिंदराम को अनीस फातमा बेगम में प्रतिष्ठित किया गया था। इसी तरह, रमेश गोबिंदराम में किरण देवी में अनुपात को एक ऐसे मामले में लागू करने में असमर्थ माना गया था जहां मूल कार्यवाही पहले दीवानी न्यायालय के समक्ष शुरू की गई थी और बाद में इसे वक्फ न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके हस्तांतरण के आदेश को अंतिम रूप मिल गया था।

41. यह देखने के बाद कि इस न्यायालय ने किस हद तक इसका पालन किया या

रमेश गोबिंदराम ने बाद के निर्णयों में यह देखते हुए कि रमेश गोबिंदराम का आधार अब 2013 के अधिनियम 27 द्वारा हटा दिया गया है, आइए अब हम अपना ध्यान "अन्य मामलों" की ओर दें, जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किए जाने वाले अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक हैं। यह कारण है कि धारा 85 का दूसरा अंग, जैसा कि हमने पहले देखा है, किसी भी दीवानी न्यायालय, राजस्व न्यायालय और किसी अन्य के अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करता है।

प्राधिकरण, किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के संबंध में जो इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है।

42. अधिनियम के विभिन्न प्रावधान जो एक संदर्भ बनाते हैं -

न्यायाधिकरण और वह विषय वस्तु जिसके संबंध में ऐसा संदर्भ दिया गया है, को एक सारणीबद्ध स्तंभ में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

विषय वस्तु

Sl.No।

अधिनियम का प्रावधान

1 . धारा 32 (3)

जहाँ कहीं भी वक्फ बोर्ड ने प्रबंधन की किसी योजना का निपटारा किया है या कोई निर्देश जारी किया है, वहाँ वक्फ में रुचि रखने वाला या किसी योजना या निर्देशों के निपटारे से प्रभावित कोई भी व्यक्ति पहले मुकदमा दायर कर सकता है। न्यायाधिकरण।

धारा 33 (4)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित मुतवल्ली या अन्य व्यक्ति

2 .

धारा 33 (3) ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने का निर्देश देती है -

किसी का भी भुगतान

दुरुपयोग की गई राशि,

गलत तरीके से लागू या धोखाधड़ी से बनाए रखा गया और पुनर्स्थापित करने के लिए

वक्फ की संपत्ति, अपील कर सकती है

न्यायाधिकरण।

3 . धारा 35 (1)

न्यायाधिकरण को किसी भी संपत्ति की सशर्त कुर्की का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसे मुतवल्ली या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी संपत्ति के निष्पादन में देरी या पराजय के इरादे से निपटाने की संभावना रखता है।

धारा 33 के तहत पारित आदेश।

धारा 38 (7)

4 .

वक्फ बोर्ड द्वारा धारा 38 (6) के तहत पारित हटाने या बर्खास्तगी के आदेश से व्यथित किसी भी कार्यकारी अधिकारी या कर्मचारी का सदस्य

न्यायाधिकरण में अपील करने का अधिकार।

धारा 39 (3)

जब भी कोई इमारत या अन्य स्थान जिसका उपयोग पहले धार्मिक उद्देश्य या शिक्षा या दान के लिए किया जाता था, उस उद्देश्य के लिए उपयोग करना बंद कर दिया जाता है, तो बोर्ड न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकता है।

5 .

अधिकार की वसूली के आदेश के लिए।

धारा 40 (2) और

इस प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय कि क्या

6 .

(4)

विशेष संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं या वक्फ सुन्नी वक्फ या शिया वक्फ है या नहीं, यह उप-धारा (2) के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय के अधीन है। इसी तरह, बोर्ड द्वारा धारा 40 (3) के तहत किसी भी न्यास या सोसायटी को पंजीकृत होने के लिए जारी किया गया निर्देश, निम्नलिखित निर्णय के अधीन किया जाता हैः

उप-धारा (4) के तहत न्यायाधिकरण

धारा 48 (2)

जब भी कोई बोर्ड लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है और रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित करता है, तो लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किसी भी राशि की वसूली का निर्देश देते हुए, मुतवल्ली या ऐसे आदेश से पीड़ित कोई अन्य व्यक्ति न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है।

7 .

धारा 52 (4)

जहाँ कहीं भी कलेक्टर द्वारा धारा 52 (2) के तहत एक आदेश पारित किया जाता है जिसमें संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को वक्फ बोर्ड को संपत्ति देने का निर्देश दिया जाता है, बोर्ड द्वारा की गई मांग के आधार पर, ऐसे आदेश से पीड़ित व्यक्ति न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है।

8 .

धारा 54 (3)

जब भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी को संतुष्ट किया जाता है कि वक्फ संपत्ति पर अतिक्रमण हुआ है, तो वह इसके लिए न्यायाधिकरण में आवेदन कर सकता है।

9 .

इस तरह के अतिक्रमण को हटाना।

धारा 64 (4)

उप-धारा (1) के खंड (सी) से खंड (आई) में निहित कारणों के लिए पद से हटाया गया मुतवल्ली न्यायाधिकरण में अपील दायर करने का हकदार है।

10 .

द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति

धारा 67 (4)

11 .

प्रबंधन समिति का स्थान लेने वाला बोर्ड धारा 67 की उप-धारा (4) के पहले परंतुक के तहत न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है।

धारा 67 (6)

12 .

जब भी किसी समिति का सदस्य

बोर्ड द्वारा प्रबंधन को हटा दिया जाता है, प्रबंधन समिति को हटाने के विकल्प का प्रयोग करने के बजाय, ऐसे हटाए गए सदस्य दूसरे परंतुक के तहत न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकते हैं।

धारा 67 की धारा (6)।

धारा 69 (3)

जब भी वक्फ के प्रशासन के लिए बोर्ड द्वारा कोई योजना बनाई जाती है, जिसमें एक प्रावधान शामिल होता है।

13 .

मुतवल्ली को हटाने के लिए और अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति से व्यथित व्यक्ति न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता है।

राशिद वली बेग बनाम। फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

धारा 73 (3)

जब भी मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किसी भी बैंक को वक्फ से संबंधित धन में से धारा 72 के तहत देय योगदान का भुगतान करने का निर्देश जारी किया जाता है, तो बैंक एक याचिका दायर कर सकता है।

14 .

न्यायाधिकरण में अपील करें।

धारा 94 (1) और (2)। जब भी कोई मुतवल्ली जो बाध्य है

15 .

एक पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ कार्य करना ऐसा कार्य करने में विफल रहता है या जब भी कोई मुतवल्ली जानबूझकर वक्फ के तहत उस पर लगाए गए किसी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो मुतवल्ली को उचित निर्देश देने के लिए न्यायाधिकरण में एक आवेदन किया जा सकता है। यदि यह उप-धारा (1) द्वारा कवर किया गया मामला है, तो बोर्ड द्वारा न्यायाधिकरण का रुख किया जा सकता है। यदि यह उप-धारा (2) द्वारा कवर किया गया मामला है तो न्यायाधिकरण को बोर्ड या इसमें रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। वक्फ।

43. संक्षेप में, अधिनियम 3 प्रकारों का उल्लेख करता है।

निम्नलिखित मामलों के संबंध में न्यायाधिकरण के समक्ष किसी वाद, आवेदन या अपील के उपचारः

(i) कोई प्रश्न या विवाद कि क्या कोई संपत्ति वक्फ के रूप में निर्दिष्ट है।

वक्फ की सूची में संपत्ति एक वक्फ संपत्ति है या नहीं [धारा 6 (1) और 7 (1)];

((ii) एक प्रश्न या विवाद कि क्या वक्फ की सूची में निर्दिष्ट किया गया है।

वक्फ एक शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ है [धारा 6 (1) और 7 (1)];

(iii) प्रबंधन के लिए एक योजना के निपटारे के लिए चुनौती

वक्फ या ऐसे प्रबंधन के संबंध में जारी किया गया कोई निर्देश [धारा 32 (3)];

(iv) संपत्ति की बहाली/बहाली के आदेश को चुनौती देना।

मुतवल्ली द्वारा दुरुपयोग या धोखाधड़ी से रखी गई किसी भी राशि के वक्फ को भुगतान के लिए वक्फ का आदेश [धारा 33 (4)];

(v) मुतवल्ली या किसी व्यक्ति की संपत्ति की सशर्त कुर्की।

अन्य व्यक्ति [धारा 35 (1)];

(vi) किसी कार्यकारी अधिकारी को हटाने या बर्खास्त करने के लिए चुनौती

या कर्मचारी सदस्य [धारा 38 (7)];

(vii) बोर्ड द्वारा आवेदन, की वसूली के लिए एक आदेश की मांग

पहले धार्मिक उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली संपत्ति का कब्जा लेकिन बाद में इसका उपयोग इस तरह से करना बंद कर दिया गया [धारा 39 (3)]; [2021] 13 एस. सी. आर.

(viii) बोर्ड द्वारा किसी भी न्यास या सोसायटी को इसे पंजीकृत कराने के लिए जारी किए गए निर्देश को चुनौती देना [धारा 40 (4)];

(ix) लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित मुतवल्ली से धन की वसूली के आदेश को चुनौती [धारा 48 (2)];

(xi) अतिक्रमण हटाने और वक्फ संपत्ति के कब्जे के वितरण के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा आवेदन (धारा 54 (3)];

(xii) मुतवल्ली को पद से हटाने की चुनौती [धारा

64 (4)] ;

(xiii) प्रबंधन समिति का स्थान लेने वाले आदेश को चुनौती देना [धारा 67 (4)];

(xiv) प्रबंधन समिति के सदस्य को हटाने के लिए चुनौती [धारा 67 (6)];

(xv) बोर्ड द्वारा बनाई गई किसी भी योजना के लिए चुनौती

मुतवल्ली और वंशानुगत उत्तराधिकार में अगले व्यक्ति की नियुक्ति [धारा 69 (3)]; (xvi) वक्फ द्वारा बैंक में पड़े धन से बोर्ड को देय योगदान की वसूली के आदेश को चुनौती [धारा 73 (3)];

(xvii) वक्फ (धारा 83 (1)) से संबंधित कोई विवाद, प्रश्न या अन्य मामला।

(xviii) वक्फ संपत्ति से संबंधित कोई विवाद, प्रश्न या अन्य मामला (धारा 83 (1))

(xix) किसी किरायेदार को बेदखल करना या वक्फ संपत्ति के पट्टेदार और पट्टेदार के अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण (2013 के अधिनियम 27 के तहत इसके संशोधन के बाद धारा 83 (1)) ((x) जब भी कोई मुतवल्ली किसी कार्य या कर्तव्य का पालन करने में विफल रहता है जिसे वह करने के लिए उत्तरदायी होता है [धारा 94]।

44. यदि वक्फ अधिनियम, 1995 केवल ऊपर सूचीबद्ध मामलों के संदर्भ के साथ बंद हो गया था जो न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लेने में सक्षम थे,

किसी भी तरह के भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन दुर्भाग्य से, राशिद वली बेग वी।

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

अधिनियम कुछ स्थानों पर न्यायालय/दीवानी न्यायालय का भी एक विशिष्ट संदर्भ देता है। हम पहले ही धारा 86,90 और 93 को "न्यायालय" का विशिष्ट संदर्भ देते हुए देख चुके हैं। धारा 68 (6) एक कदम और आगे जाती है।

'दीवानी अदालत' का संदर्भ और यह निम्नानुसार हैः

" 68. कब्जा देने के लिए मुतवल्ली या समिति का कर्तव्य

अभिलेख आदि।

(1)

(2)

.....

(3)

:

:

(4)

(5)

.....

.....

इस धारा में निहित कुछ भी संस्था को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

(6)

किसी भी पीड़ित व्यक्ति द्वारा किसी सक्षम दीवानी न्यायालय में किसी मुकदमे का इस धारा के तहत किए गए किसी भी आदेश द्वारा, यह स्थापित करने के लिए कि उसने

आदेश में निर्दिष्ट संपत्तियों में अधिकार, शीर्षक और ब्याज उप-धारा (2) के तहत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया

45. धारा 68 (6), 86,90 और 93 का संयुक्त अध्ययन

यह दर्शाता है कि धारा 85 के तहत अधिकारिता का प्रतिबंध कम से कम धारा 68 (6), 86 और 90 द्वारा कवर किए गए निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होता हैः

(i) जब भी कोई जिला मजिस्ट्रेट कोई आदेश पारित करता है

मुतवल्ली को हटा दिया गया या वक्फ के अभिलेखों, खातों और संपत्तियों का कब्जा उत्तराधिकारी या उत्तराधिकारी प्रबंधन समिति, किसी भी व्यक्ति को देने के लिए प्रबंधन समिति के सदस्यों को हटा दिया गया। यह दावा करते हुए कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रकार पारित आदेश में निर्दिष्ट संपत्तियों में उसका अधिकार, स्वामित्व और हित है, वह दीवानी अदालत का रुख कर सकता है।

((ii) बोर्ड स्वयं इसे दरकिनार करने के लिए दीवानी अदालत का रुख कर सकता है।

दीवानी अदालत की डिक्री के निष्पादन में, एक अचल संपत्ति जो एक वक्फ संपत्ति है, या बोर्ड की मंजूरी के बिना मुतवल्ली द्वारा की गई किसी भी अचल संपत्ति के हस्तांतरण को अलग करने के लिए या

इस प्रकार बेची गई या हस्तांतरित की गई संपत्ति का कब्जा, जैसा भी मामला हो, पुनर्प्राप्त करें;

(iii) मुतवल्ली को दीवानी अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी अधिकार है।

किसी भी अचल संपत्ति का कब्जा वसूल करने के लिए जो एक वक्फ संपत्ति है, लेकिन जिसे बोर्ड की मंजूरी के बिना पिछले मुतवल्ली द्वारा हस्तांतरित किया गया था (यह धारा 86 में निहित है); [2021] 13 एस. सी. आर.

((iv) वक्फ संपत्ति को बिक्री के लिए लाया जा सकता है।

सिविल न्यायालय की डिक्री या सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को देय किसी भी राजस्व, उपकर, दरों या करों की वसूली के लिए, लेकिन ऐसी कार्यवाही अमान्य होगी यदि बोर्ड को इसकी कोई सूचना नहीं दी जाती है [यह धारा 90 (2) और (3) में निहित है]।

46. इस प्रकार अधिनियम ने स्वयं कुछ भ्रम पैदा किया है, जिससे

उलझन को बढ़ाने के लिए अदालतों को छोड़ दें। अफसोस की बात है कि 2013 के संशोधन अधिनियम 27 ने भी समस्या का पूरी तरह से समाधान नहीं किया।

हाथ में मामला

47. इस प्रकार वैधानिक योजना को देखने के बाद, जिसमें प्रतीत होता है या योजनाबद्ध रूप से पैदा किया गया भ्रम भी शामिल है, आइए अब हम तथ्यों पर वापस आते हैं

हाथ में मामला। जैसा कि हमने ऊपर पैराग्राफ 3 में देखा है, इसमें पहले प्रतिवादी ने निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए एक दीवानी अदालत की फाइल पर एक मुकदमा दायर किया:

(i) प्रतिवादी को वादी की दुकानों के पीछे उनके द्वारा किए गए दरवाजे और अतिक्रमण को हटाने का निर्देश देने वाला एक अनिवार्य निषेधाज्ञा। और वादी की दुकान की टूटी हुई पीछे की दीवार की मरम्मत करना; और

((ii) प्रतिवादियों को रोकने वाला एक स्थायी निषेधाज्ञा।

उसमें वर्णित संपत्ति के वादी के कब्जे में हस्तक्षेप करना।

48. प्रतिवादी संख्या 1, जो इसमें अपीलकर्ता है, ने एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें स्वीकार किया गया कि खसरा प्लॉट, जिसके संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा मांगी गई थी, मिर्जा आबिद अली बेग की संपत्ति थी और यह एक वक्फ संपत्ति है, जिसमें रियाज अहमद मुतवल्ली था।

49. संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार करने के बाद, अपीलार्थी (प्रतिवादी सं। 1) आदेश VII, नियम 11 के तहत आवेदन दायर किया।

एकमात्र आधार कि निषेधाज्ञा के लिए मुकदमा केवल वक्फ न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया जा सकता है। वाद खारिज करबाक एहि आवेदनकेँ विचारण न्यायालय द्वारा अनुमति देल गेल आ मोकदमा खारिज कऽ देल गेल। पहला अपीलीय न्यायालय

उसी की पुष्टि की लेकिन दूसरी अपील पर, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत और पहली अपीलीय अदालत के फैसलों को खारिज कर दिया और दीवानी अदालत को कानून के अनुसार आगे बढ़ने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय का तर्क था कि संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने या संपत्ति की प्रकृति के संबंध में कोई विवाद नहीं था और इसलिए दीवानी न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र होगा। दिलचस्प बात यह है कि उच्च न्यायालय ने रमेश गोबिंदराम और अनीस फातमा बेगम के फैसलों का उल्लेख किया, लेकिन यह माना कि उत्तरदाताओं के

विद्वान वकील द्वारा जिन सभी फैसलों पर भरोसा किया गया था, वे वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू नहीं थे।

50. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय का दृष्टिकोण कानून के अनुरूप नहीं है। सवाल यह है कि क्या मुकदमा स्थायी है

वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष निषेधाज्ञा बनाए रखने योग्य है या नहीं, इसका जवाब पहले से ही अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति में दिया गया है। यह न्यायालय ने उक्त निर्णय में बताया कि रमेश गोबिंदराम को अनीस फातमा बेगम में प्रतिष्ठित किया गया था, और इसलिए न्यायाधिकरण ने

स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे पर विचार करने के लिए अधिकार क्षेत्र। लेकिन दुर्भाग्य से, इस न्यायालय द्वारा 23.07.2013 पर दिया गया यह निर्णय ऐसा प्रतीत नहीं होता है

उच्च न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है।

51. यह सच है कि पंजाब वक्फ बोर्ड बनाम शाम सिंह हरिके मामले में, इस अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने रमेश गोबिंदराम पर विचार किया,

अनीस फातमा बेगम के साथ-साथ अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति और (एस. सी. सी. रिपोर्ट के) पैराग्राफ 43 में अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति के निर्णय की शुद्धता पर इस आधार पर संदेह किया कि यह रमेश गोबिंदराम के अनुपात के अनुरूप नहीं था। लेकिन उक्त निष्कर्ष रमेश गोबिंदराम की टिप्पणियों के आधार पर इस प्रभाव के लिए था कि जब तक कि

विवाद पर विचार करने के लिए वक्फ अधिनियम में कोई भी प्रावधान, न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है। शाम सिंह हरिके के पैराग्राफ 43 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

" 43. उपरोक्त मामले में इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मुक़दमे को वक्फ़ न्यायाधिकरण में विचारणीय ठहराया और उल्लेख किया कि रमेश गोबिंदराम [रमेश गोबिंदराम बनाम. सुग्रा

हुमायूं मिर्जा वक्फ, (2010) 8 एस. सी. सी. 726: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] को अनीस फातमा मामले [डब्ल्यू. बी. वक्फ] में अलग किया गया है।

बोर्ड वी। अनीस फातमा बेगम (2010) 14 एस. सी. सी. 588: (2012) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 773] लेकिन रमेश गोबिंदराम के अनुपात के अनुसार [रमेश गोबिंदराम बनाम। सुग्रा हुमायूं मिर्जा वक्फ, (2010) 8 एस. सी. सी. 726: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] जब तक कि वक्फ अधिनियम, 1995 में उक्त विवाद पर विचार करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तब तक वक्फ न्यायाधिकरण के पास अधिकार क्षेत्र है, निषेधाज्ञा के लिए दायर किया गया मुकदमा उपरोक्त मामले में बनाए रखने योग्य नहीं था। इस प्रकार, दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उपरोक्त निर्णय में जो कहा गया है, वह रमेश गोबिंदराम [रमेश गोबिंदराम बनाम। सुग्रा हुमायूं

मिर्जा वक्फ (2010) 8 एस. सी. सी. 726: (2010) 3 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 553] "

52. हम पहले ही देख चुके हैं कि ऐसा नहीं है कि वक्फ अधिनियम में न्यायाधिकरण को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। वक्फ संपत्ति का सम्मान। हम धारा 83 [2021] 13 एस. सी. आर. के पहले भाग को तोड़ सकते हैं।

दो भागों में, पहला वक्फ से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण से संबंधित और दूसरा, वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले के निर्धारण से संबंधित। 2013 के संशोधन अधिनियम 27 के बाद, यहां तक कि एक किरायेदार की बेदखली या पट्टेदार के अधिकारों और दायित्व का निर्धारण और

ऐसी संपत्ति का पट्टेदार, न्यायाधिकरण के दायरे में आता है। यद्यपि जिन कार्यवाहियों में से वर्तमान अपील उत्पन्न होती है, उन्हें संशोधन अधिनियम के समक्ष स्थापित किया गया था, लेकिन "कोई भी विवाद, प्रश्न या वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित अन्य मामला" शब्द वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले को कवर करने के लिए पर्याप्त हैं। यही कारण है कि रमेश गोबिंदराम को अनीस फातमा बेगम और प्रितपाल सिंह दोनों में प्रतिष्ठित करने की मांग की गई थी और इस तरह के विशिष्टता को अक्कोड जुमायत पल्ली परिपालन समिति में ध्यान में रखा गया था। इसके अलावा यह

किरण देवी की अदालत ने रमेश गोबिंदराम के अनुपात को इस आधार पर लागू करने से इनकार कर दिया कि मुकदमा मूल रूप से दीवानी अदालत के समक्ष दायर किया गया था, लेकिन बाद में इसे वक्फ न्यायाधिकरण में स्थानांतरित कर दिया गया और अनुमति देने के बाद

अंतरण के क्रम को अंतिम रूप देने के लिए, रमेश गोबिंदराम के माध्यम से इस मुद्दे को फिर से खड़ा करना उनके लिए खुला नहीं था।

53. यह अच्छी तरह से तय है कि अदालत एक्सप्रेस के साथ हिंसा नहीं कर सकती है।

कानून की भाषा। धारा 83 (1) भले ही वह संशोधन से पहले थी, न्यायाधिकरण द्वारा किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले (i) वक्फ से संबंधित; और (ii) वक्फ संपत्ति से संबंधित के निर्धारण के लिए प्रावधान किया गया था। इसलिए यह कहना कि न्यायाधिकरण का अधिकार क्षेत्र केवल तभी होगा जब

विषय संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में विवादित किया जाता है और यदि इसे वक्फ संपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो धारा 83 (1) के अनुसार अपचनीय है।

54. वास्तव में, अधिनियम की धारा 83 (5) यह स्पष्ट करती है कि न्यायाधिकरण को एक दीवानी न्यायालय माना जाएगा और उसके पास उतनी ही शक्तियां होंगी जितनी

सी. पी. सी. के तहत सिविल कोर्ट द्वारा किसी मुकदमे की सुनवाई करते समय या डिक्री या आदेश को निष्पादित करते समय इसका प्रयोग किया जा सकता है। यही कारण है कि इस अदालत ने सैयद मोहिदीन और एक अन्य बनाम रामनाथपुरा पेरिया मोगल्लम जमात और

अन्य कि वक्फ न्यायाधिकरण के पास आदेश XXXIX, नियम 1 सी. पी. सी. के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति होगी।

55. हमें इस स्तर पर यह भी इंगित करना चाहिए कि सभी 14 निर्णय जिन्हें हमने ऊपर पैराग्राफ 13 में सारणीबद्ध किया है, सिवाय इसके कि

Sl.No.13, अर्थात् किरण देवी बनाम बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, हैं

5 (2010) 13 एस. सी. सी 62

62021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 280 राशिद वाली बी. ई. जी. वी.

फरीद पिंडारी और ओआरएस। [वी. रामसुब्रमण्यन, जे.]

दो सदस्यीय पीठों के निर्णय। किरण देवी इस न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ का फैसला था। किरण देवी में, रमेश गोबिंदराम के फैसले के आधार पर वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही की स्थिरता पर आपत्ति जताई गई थी। लेकिन इस अदालत ने इसे इस आधार पर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि एक बार दीवानी अदालत से वक्फ न्यायाधिकरण को मुकदमे के हस्तांतरण का आदेश अंतिम रूप ले चुका है, तो अधिकार क्षेत्र का सवाल नहीं उठाया जा सकता है। यदि वक्फ ट्रिब्यूनल के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होता, तो यह अदालत किरण देवी में यह नहीं मान सकती थी कि पहले से पारित स्थानांतरण के आदेश को इस याचिका को स्वीकार करके पूर्ववत नहीं किया जा सकता है। किरण देवी की तीन सदस्यीय पीठ का निर्णय इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि रमेश गोबिंदरम को वक्फ संपत्ति से संबंधित कार्यवाही को एक मंच से दूसरे मंच पर फेंकने के लिए जादू की छड़ी के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस अदालत के कुछ फैसलों में वक्फ संपत्तियों और संपत्तियों के रूप में स्वीकार की जाने वाली संपत्तियों के बीच द्वैत पैदा हुआ

जिनका ऐसा होना विवादित है, वे धारा 6 (1) और 7 (1) में दो सीमित प्रश्नों को धारा 83 सहित पूरे अधिनियम में गलत तरीके से लागू करने के कारण हैं। पुनरावृत्ति की कीमत पर हमें यह इंगित करना चाहिए कि

धारा 83 (1) में किसी भी विवाद, प्रश्न या किसी अन्य मामले के निर्धारण का प्रावधान है, (i) वक्फ से संबंधित और (ii) वक्फ संपत्ति से संबंधित। इस पर्चे को कम या सीमित नहीं माना जा सकता है।

धारा 6 (1) और 7 (1) द्वारा, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि न्यायाधिकरण केवल तभी अधिकार क्षेत्र ग्रहण करेगा जब कोई संपत्ति वक्फ होने के लिए विवादित हो।

संपत्ति।

56. हाथ के मामले में, संपत्ति को वक्फ संपत्ति माना जाता है। इसलिए, वादी को वक्फ न्यायाधिकरण की उपेक्षा करने की अनुमति देना।

और सिविल न्यायालय से स्थायी निषेधाज्ञा और अनिवार्य निषेधाज्ञा की डिक्री की मांग करना, धारा 83 और 85 के आदेश की अनदेखी होगी जो किसी वक्फ या वक्फ संपत्ति से संबंधित किसी भी विवाद, प्रश्न या अन्य मामले की बात करता है। एक और मुद्दा है। लिखित बयान में, प्रतिवादी संख्या 1 ने वक्फ के अस्तित्व को स्वीकार किया है और

उन्होंने स्वीकार किया कि रियाज अहमद नाम के वादी के पिता मुतवल्ली हैं। लेकिन वादी के इस दावे को खारिज कर दिया गया है कि वह वक्फ का लाभार्थी है। इसलिए, इस मामले में वक्फ की प्रकृति और क्या वादी वक्फ का लाभार्थी है, इस बारे में भी सवाल उठा है। इस प्रश्न का निर्णय अनिवार्य रूप से न्यायाधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए न कि दीवानी न्यायालय द्वारा।

57. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले और डिक्री को खारिज कर दिया जाता है। निचली अदालत 48 वापस करेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्राधिकार वाले वक्फ न्यायाधिकरण को प्रस्तुत करने के लिए वादी के समक्ष शिकायत। चूंकि दलीलें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए वक्फ ट्रिब्यूनल मुद्दों को तैयार करने के चरण से आगे बढ़ेगा और 6 महीने की अवधि के भीतर मुकदमे का निपटारा करेगा। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे